ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

अप्रैल 2018

अंक 01

विषय सूची

अप्रैल 2018
अंक-1

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-16

- ई-कचरा प्रबंधन कानून : स्वच्छ पर्यावरण की कवायद
- लाभ के पद पर निरंतर उठ रहे विवाद
- जल संकट की वर्तमान स्थिति
- भारत-अफ्रीका संबंध का नया परिदृश्य
- एससी/एसटी एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का नया नजरिया
- रोहिंग्या समस्या पर वैश्विक पहल
- अनुबंध कृषि की आवश्यकता क्यों?

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 17-21

सात महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें 22-28

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 29-37

सात महत्वपूर्ण तथ्य 38

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 39

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 40

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. ई–कचरा प्रबंधन कानून : स्वच्छ पर्यावरण की कवायद

चर्चा का कारण

हाल ही में सरकार ने देश में ई–कचरा के पर्यावरण अनुकूल प्रभावी प्रबंधन के लिए ई–कचरा नियमों में संशोधन किया है। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ० हर्षवर्धन ने कहा कि नियमों में बदलाव देश में ई–कचरा निपटान को सुव्यवस्थित बनाने, ई कचरे के पुनर्चक्रण या उसे विघटित करने के काम में लगी इकाइयों को वैधता प्रदान करने तथा उन्हें संगठित करने के इरादे से किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों में बदलाव के तहत उत्पादक जवाबदेही विस्तार (Extended Producer Responsibility-EPR) ईपीआर की व्यवस्थाओं को पुन: परिभाषित किया गया है। इसके तहत हाल में बिक्री शुरू करने वाले ई–उत्पादकों के लिए ई–कचरा संग्रहण के नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

ई–कचरा क्या है?

ई–वेस्ट आई.टी. कंपनियों से निकलने वाला वह कबाड़ा है, जो तकनीक में आ रहे परिवर्तनों और स्टाइल के कारण निकलता है। जैसे पहले बड़े आकार के कम्प्यूटर, मॉनीटर आते थे, जिनका स्थान स्लिम और फ्लैट स्क्रीन वाले छोटे मॉनीटरों ने ले लिया है। माउस, की–बोर्ड या अन्य उपकरण जो चलन से बाहर हो गए हैं, वे ई–वेस्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। पुरानी शैली के कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों तथा अन्य उपकरणों के बेकार हो जाने के कारण भारत में हर साल इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। विकसित देशों में अमेरिका की बात करें, तो वहाँ प्रत्येक घर में वर्ष भर में छोटे–मोटे 24 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे जाते हैं। इन पुराने उपकरणों का फिर कोई उपयोग नहीं होता। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता होगा। यह तथ्य भी देखने में आया कि

केवल अमेरिका में ही 7 प्रतिशत लोग प्रतिवर्ष मोबाइल बदलते हैं और पुराना मोबाइल कचरे में डाल देते हैं।

दूसरे शब्दों में देश में जैसे–जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, उसी अनुपात में ई–कचरा भी बढ़ा है। इसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारकों में तकनीक तथा मनुष्य की जीवन–शैली में आने वाले बदलाव को माना जा सकता है। ग्रीन पीस संस्था के अनुसार, ई–कचरा दुनिया भर में उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का लगभग 5 प्रतिशत है।

ई–कचरा प्रबंधन नियम, 2016

यह नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के अंतर्गत उत्पादकों को लाने का प्रावधान करता है और इनके लक्ष्य भी तय करता है।

- ई–कचरा नियमों में कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प (सीएफएल) तथा मरकरी वाले अन्य लैम्प और ऐसे उपकरण को शामिल किया गया।
- ई–कचरा नियमों के तहत उत्पादकों को ई–कचरा ईकठ्ठा करने और आदान–प्रदान के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
- बड़े उपभोक्ताओं को कचरा इकठ्ठा करना होगा और अधिकृत रूप से रिसाइक्लिंग करने वालों को देना होगा।
- नष्ट करने तथा रिसाइकिल करने के काम में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास सुनिश्चित करने की भूमिका राज्य सरकारों की है। नियमों के उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान किया गया।
- ई–कचरे को नष्ट करने और रिसाइकिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। यह प्रक्रिया एक प्राधिकरण केन्द्र प्रणाली से सरल बनाई गई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे देश में एकल प्राधिकार देगा।

ई–कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2018

- ई–कचरा संग्रहण के नए निर्धारित लक्ष्य 1 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी माने जाएंगे। विभिन्न चरणों में ई–कचरे का संग्रहण लक्ष्य 2017–18 के दौरान उत्पन्न किये गए कचरे के वजन का 10 फीसदी होगा जो 2023 तक प्रतिवर्ष 10 फीसदी के हिसाब से बढ़ता जाएगा। वर्ष 2023 के बाद यह लक्ष्य कुल उत्पन्न कचरे का 70 फीसदी हो जाएगा।
- यदि किसी उत्पादक के बिक्री परिचालन के वर्ष उसके उत्पादों के औसत आयु से कम होंगे तो ऐसे नए ई–उत्पादकों के लिये ई–कचरा संग्रहण हेतु अलग लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे।

- उत्पादों की औसत आयु समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- हानिकारक पदार्थों से संबंधित व्यवस्थाओं में आरओएच के तहत ऐसे उत्पादों की जाँच का खर्च सरकार वहन करेगी यदि उत्पाद आरओएच की व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं हुए तो उस हालत में जाँच का खर्च उत्पादक को वहन करना होगा।
- उत्पादक जवाबदेही संगठनों को नए नियमों के तहत कामकाज करने के लिये खुद को पंजीकृत कराने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष आवेदन करना होगा।
- 22 मार्च, 2018 को अधिसूचना जीएसआर 261(ई) के तहत ई-वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 को संशोधित किया गया है।

ई-कचरे के निपटान की समस्या

विकसित देश अपने यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक कचरे को गरीब देशों को बेच रहे हैं। विकसित देश यह नहीं देख रहे कि गरीब देशों में ई-कचरे के निपटान के लिए नियम-कानून बने हैं या नहीं। इस कचरे से होने वाले नुकसान का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसमें 38 अलग प्रकार के रासायनिक तत्व शामिल होते हैं जिनसे काफी नुकसान भी हो सकता है। जैसे टीवी व पुराने कम्प्यूटर मॉनिटर में लगी सीआरटी (केथोंड रे ट्यूब) को रिसाइकल करना मुश्किल होता है। इस कचरे में लेड, मरक्यूरी, कैडमियम जैसे घातक तत्व भी होते हैं। दरअसल ई-कचरे का निपटान आसान काम नहीं है क्योंकि इसमें प्लास्टिक और कई तरह की धातुओं से लेकर अन्य पदार्थ रहते हैं। इस कचरे को आग में जलाकर इसमें से आवश्यक धातु आदि निकाली जाती है। इसे जलाने से जहरीला धुंआ निकलता है जो काफी घातक होता है। विकासशील देश इनका इस्तेमाल तेजाब में डुबोकर या फिर उन्हें जलाकर उनमें से सोना-चांदी, प्लैटिनम और दूसरी धातुएं निकालने के लिए करते हैं। भारत में सूचना प्रोद्योगिकी का क्षेत्र बंगलौर है। यहां हजारो आई.टी. कंपनियां काम कर रही हैं और उनसे हर साल 6000 से 10000 हजार टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एस.टी.पी.आई) के डॉयरेक्टर जे.पार्थ सारथी कहते हैं कि सबसे बड़ी जरूरत है भारी मात्रा में निकलने वाले ई-वेस्ट के सही निपटान की। जब तक उसका व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, वह पानी और हवा में जहर फैलता रहेगा। देश में निकलने वाला हजारों टन ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) कबाड़ी ही खरीद रहे हैं। इनके पास इस तरह के कचरे को खरीदने की न अनुमति है और न ही वैज्ञानिक तरीके से निपटान की व्यवस्था। म.प्र. में खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग एवं सीमापार संचलन) अधिनियम-2008 में ही इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक वस्तुओं से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था लागू कर दी गई थी, लेकिन म.प्र. प्रदूषण बोर्ड द्वारा लगातार इसकी अनदेखी की जा रही है। नियमों को जानते हुए भी बोर्ड ने आज तक शहर में किसी भी कबाड़ी के खिलाफ कार्रवाई तो दूर उसे नोटिस तक जारी नहीं किया। इंदौर में ही नहीं, संभवत: पूर देश में कोई भी फर्म या व्यक्ति ई-वेस्ट निपटान या खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है।

स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा

मोबाइलों के ई-कचरे से पर्यावरण को संकट: इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाने के उपयोग में आने वाली सामग्रियों में ज्यादातर कैडिमियम, निकेल, क्रोमियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बेरिलियम और मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। इनमें से काफी चीजें तो रिसाइकल करने वाली कंपनियां ले जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें नगर निगम में चली जाती हैं। वे हवा, मिट्टी और भूमिगत जल में मिलकर जहर का काम करती हैं। कैडमियम से फेफड़े प्रभावित होते हैं, जबकि कैडमियम के धुएं और धूल के कारण फेफड़े व किडनी दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। एक कम्प्यूटर में प्राय: 3.8 पौंड सीसा, फासफोरस, केंडमियम व मरकरी जैसे घातक तत्व होते हैं, जो जलाए जाने पर सीधे वातावरण में घुलते हैं। इनका अवशेष पर्यावरण के विनाश का कारण बनता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन ''ग्रीनपीस'' के एक अध्ययन के अनुसार 49 देशों से इस तरह का कचरा भारत में आयात होता है। तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने ई-कचरे के रूप में पर्यावरण के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है।

भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में मशहूर आई.टी. शहर बंगलौर में ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या गंभीर होती जा रही है। इससे निकलने वाले हानिकारक रसायन न सिर्फ मिट्टी को दूषित कर रहे हैं बल्कि भूजल को भी जहरीला बना रहे हैं। ई-कचरे ने पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर दिया है। खासतौर पर राजधानी चेन्नई के मूर मार्केट त्रिशुलम और रेडहिल समेत कई अन्य इलाकों में ई-कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली एक स्वैच्छिक संस्था ''सिटिजन कंयूमर एण्ड एक्शन ग्रुप'' के प्रोग्राम अधिकारी राजेश रंगराजन ने बताया कि बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तोड़ने और बीनने के काम में लगे लोगों को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं है कि ये उपकरण उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी कितने खतरनाक हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सेमीकंडक्टर तकनीक से बनाए जाते हैं। इनमें ऊर्जा स्रोतों को लघु से लघुत्तम करने, परम्परागत धातु तांबे के साथ ही सिलीकॉन, कैडमियम, सीसा, क्रोमियम, पारा व निकल जैसी भारी धातुओं का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पर्यावरण में असावधानी व लापरवाही से इस कचरे को फेंका जाता है, तो इनसे निकलने वाले रेडिएशन शरीर के लिए घातक होते हैं। इनके प्रभाव से मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं। कैंसर, तंत्रिका व स्नायु तंत्र पर भी असर हो सकता है।

आगे की राह

ई-कचरे के समुचित प्रबंधन के लिए पूरे विश्व के साथ ही भारत में भी पहल की जाने की नितांत आवश्यकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कचरे संबंधी नियमों का पालन होता है। चीन ने अपने यहाँ ई-कचरे पर आयात करने पर पहले ही रोक लगा रखी है। हांगकांग में बैटरियों व कैथोड रे ट्यूब का आयात नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, जापान व ताईवान सरीखे देशों ने यह नियम बनाया है कि जो भी कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाती हैं वे अपनी वार्षिक उत्पादन का 75 प्रतिशत रिसाइकल करें। भारत में भी ई-कचरे के उचित प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस संदर्भ में ई-कचरा संशोधन नियम, 2018 निश्चित ही एक सकारात्मक पहल है। इसकी सफलता के लिए सरकार के साथ प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता तथा कर्तव्य पालन भी अपेक्षित हो।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

2. लाभ के पद पर निरंतर उठ रहे विवाद

चर्चा का कारण

दिल्ली हाइकोर्ट ने 23 मार्च 2018 को आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राहत देते हुए पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने का आदेश खारिज कर उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना तथा चन्द्रशेखर की पीठ ने अपने फैसले में विधायकों को अयोग्य ठहराने की चुनाव आयोग की सिफारिश को दूषित बताते हुए कहा कि ''विधायकों का मौखिक तौर पर पक्ष नहीं सुना गया, जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।''

ज्ञातव्य है कि आप विधायकों को 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने लाभ के पद के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सलाह पर मोहर लगाते हुए सभी 20 विधायकों को अयोग्य बताया था। अब हाइकोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग ने मामले में विधायकों को मौखिक सुनवाई का मौका नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है।

क्या है लाभ का पद

भारतीय संविधान में या संसद द्वारा पारित किसी भी अन्य विधि में लाभ के पद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है हालांकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 102(1) तथा 191(1) में हुआ है। भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों के अनुसार, कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर आसीन है जहां अलग से वेतन, भत्ता या बाकी फायदे मिलते हों।

भारतीय संविधान में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कोई व्यक्ति केवल इस कारण सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या किसी राज्य का मंत्री है, साथ ही इसमें ऐसे पद भी शामिल हैं जिनको संसद या राज्य सरकार द्वारा मंत्री पद का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 103 में कहा गया है कि, यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) में उल्लिखित किसी निरर्हरता से ग्रस्त हो गया है या

नहीं तो प्रश्न राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए भेजा जायेगा। इसके साथ ही ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा, अर्थात निर्वाचन आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी।

पृष्ठभूमि

विदित हो कि 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं इसके लिए उसकी नियुक्ति से संबंधित बिन्दुओं का परीक्षण किया जाना चाहिए। जैसे कि क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है? क्या सरकार को नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति है? क्या सरकार उस पद से संबंधित पारिश्रमिक को निर्धारित करती है? पारिश्रमिक का स्रोत क्या है? क्या पारिश्रमिक को सरकार द्वारा दिया जाता है? उस पद के कर्तव्य क्या हैं? उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति किस प्रकार के कार्यों का निष्पादन करता है? क्या सरकार इन कार्यों के निष्पादन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखती है आदि।

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2001 में उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यी खंडपीठ ने 'झारखण्ड मुक्ति मोर्चा' के नेता शिबू सोरेन की संसद सदस्यता इस आधार पर रद्द कर दी थी कि राज्यसभा में निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करते समय वह झारखण्ड सरकार द्वारा गठित अंतरिम ''झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद'' के अध्यक्ष के रूप में लाभ के पद पर नियुक्त थे। यूपीए-1 के समय 2006 में लाभ के पद का विवाद खड़ा होने की वजह से सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर रायबरेली से दूसरी बार चुनाव लड़ना पड़ा था। सांसद होने के साथ-साथ सोनिया गांधी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पद पर आसीन थीं। भारतीय संविधान की गरिमा के तहत 'लाभ के पद' पर बैठा कोई व्यक्ति सरकारी लाभ लेने के साथ-साथ विधायिका का हिस्सा नहीं हो सकता। 2006 में जया बच्चन पर आरोप लगा कि वह राज्यसभा सांसद होते हुए उत्तरप्रदेश विकास निगम की चेयरमैन हैं जो लाभ का पद है। चुनाव आयोग ने जया बच्चन की सदस्यता को अयोग्य पाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अगर किसी सांसद या विधायक ने 'लाभ का पद' लिया है तो उसे सदस्यता गंवानी होगी चाहे वह वेतन या भत्ता लिया हो अथवा नहीं।

मई 2012 में पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से चुनकर आई तृणमूल कांग्रेस सरकार ने भी संसदीय सचिव बिल पास किया था। इसके बाद ममता बनर्जी सरकार ने करीब दो दर्जन विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया। इन सचिवों को मंत्री का दर्जा प्राप्त था। यद्यपि कि बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने सरकार के बिल को असंवैधानिक ठहरा दिया और इनके पद को लाभ का पद माना।

लाभ के पद एवं संवैधानिक प्रावधान

स्मरणीय है कि संविधान में इन प्रावधानों को शामिल करने का उद्देश्य नीति निर्माण के इन निकायों (संसद व विधानमंडल) को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखना था। क्योंकि यदि लाभ के पदों पर नियुक्त व्यक्ति विधानसभा का भी सदस्य होगा तो हो सकता है कि वह अपने लाभ के लिए निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करे। इसके पीछे मूल भावना यह है कि निर्वाचित सदस्य के कर्तव्यों और हितों के बीच कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार विधायिका सरकार को नियंत्रित करती है। इस नियंत्रण को कम करने के लिए विधायकों को खुश करने एवं लाभ पहुँचाने हेतु उन्हें लाभ के कुछ पद प्रदान कर दिए जाते हैं। इस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर किया जा सकता है। इस प्रकार लाभ का पद संबंधी प्रावधान संविधान में वर्णित-विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करने का ही एक प्रयास है।

उल्लेखनीय है कि संविधान संसद/विधायिका को लाभ के किसी भी पद को धारण करने वाले को छूट प्रदान करने हेतु कानून पारित करने की अनुमति प्रदान करता है। कानून के दायरे में कितने पदों को छूट दी जा सकती

है, इस पर कोई उपरी सीमा नहीं है। 2015 में नागालैण्ड विधानसभा के सभी 60 विधायक सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए थे। जुलाई 2017 में नागालैण्ड के मुख्यमंत्री ने संसदीय सचिवों के रूप में 26 विधायकों की नियुक्ति की थी। इसी तरह 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में भी 21 विधायकों को संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्ति किया गया था। वर्तमान में कई प्रावधान सांसदों एवं विधायकों को लाभ के पद से छूट प्रदान करते हैं जैसे किसी भी सांसद या विधायक के मंत्री पद को भारत सरकार या किसी भी राज्य के सरकार के तहत लाभ का पद नहीं माना जाएगा। किंतु संविधान में निर्दिष्ट है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% के भीतर होनी चाहिए (दिल्ली के मामले में 10% जो विधायिका के साथ संघ राज्य क्षेत्र है।)

संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में किसी सांसद या विधायक को सरकारी पद को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद से उन्मुक्ति दी गई है। कई राज्य विधानसभाओं ने कानून बनाकर कुछ पदों को लाभ के पद से बाहर रखा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि ने कानून बनाकर संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से बाहर रखने के लिए कानून का निर्माण किया है। संसद ने भी संसद (अयोग्यता निर्धारण) अधिनियम, 1959 अधिनियमित किया है। जिसमें उन पदों की सूची दी गई है जिन्हें लाभ के पद से बाहर रखा गया है। संसद ने समय पर इस सूची में विस्तार भी किया है।

लाभ के पद पर संसदीय सचिवों की स्थिति

संसदीय सचिव विधानमंडल का एक सदस्य होता है, जो अपने कार्यों द्वारा अपने से वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करता है। मूल रूप से इस पद के निर्माण भावी मंत्रियों के प्रशिक्षण के लिए किया गया था। परंतु माना जाता है कि संसदीय सचिव का पद मूल रूप से कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति पृथकरण के सिंद्धात का उल्लंघन करता है। संसदीय सचिव मंत्री नहीं माने जाते हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, किंतु इन्हें मंत्री जैसी ही सुविधाएं प्राप्त होती है।

उल्लेखनीय है कि कई राज्यों में संसदीय सचिवों के रूप में विधायिकों की नियुक्ति को अवैध घोषित किया है जबकि अन्य पदों पर नियुक्ति को अवैध घोषित नहीं किया है। अनुच्छेद 164 (1ए) भी निर्दिष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2009 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा कि कैबिनेट मंत्री के पद और स्थिति के समान संसदीय सचिवों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164(1ए) का उल्लंघन है।

निष्कर्ष

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह संविधान में दिए गए नियमों के अंतर्गत कार्य करता है। देश के कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ या अपनी पार्टी की स्वार्थसिद्धि के लिए संसदीय सचिव जैसे पदों का गठन कर लाभ के पद का दुरूपयोग करते हैं। वह संविधान के दिए गए नियमों का उल्लंघन करने के साथ ही जनता के साथ भी विश्वासघात करते हैं हालांकि कोर्ट ने इस तरह के पद के लिए स्पष्ट नियम बनाने और किसी भी पक्षपात से बचने का निर्देश दिया है जिससे कि संविधान में उल्लिखित विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखा जा सके। साथ ही निर्वाचन आयोग से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिना किसी द्वेषभाव के सभी पार्टियों के साथ समान व्यवहार करे जिससे कि लोगों का संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास बना रहे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

■

3. जल संकट की वर्तमान स्थिति

चर्चा का कारण

संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में दुनिया के कम से कम 200 शहर पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे हैं। उनके अनुसार बेंगलुरू समेत 10 बड़े शहर तेजी से 'डे जीरो' की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डे जीरो वो स्थिति है जब पानी की टोंटियों से पानी आना बंद हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरू की हालत दक्षिण अफ्रीकी शहर केपटाऊन जैसी हो सकती है। केपटाऊन की तरह ही बेंगलुरू में भी जलस्तर तेजी से घट रहा है तथा कुछ ही सालों या फिर कुछ ही महीनों में यहां पानी की भयंकर समस्या पैदा हो सकती है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गैर योजनागत तरीके से बस रहे शहरों में ग्राउंड

वॉटर को रीचार्ज की जाने का काम नहीं हो रहा है। बेंगलुरू अपने हिस्से के महज आधे पानी को दोबारा इस्तेमाल में ला पाता है और बचा पानी नदियों या समुद्र में चला जाता है। बेंगलुरू के अलावा पेइचिंग (चीन), मेक्सिको सिटी (मेक्सिको), कराची (पाकिस्तान), काबुल (अफगानिस्तान) और ब्यूनस आयर्स (अर्जेन्टिना) भी उन 10 शहरों में शामिल हैं, जो तेजी से 'डे जीरो' की तरफ बढ़ रहे हैं।

विश्व जल दिवस का इतिहास

पूरे विश्व के लोगों द्वारा हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा के द्वारा इस दिन को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। लोगों के बीच जल का महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान की शुरूआत की गई थी। इसे पहली बार वर्ष 1992 में ब्राजील के रियोडी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अनुसूची 21 में आधिकारिक रूप से जोड़ा गया था तथा पूरे दिन के लिये अपने नल के गलत उपयोग को रोकने के द्वारा जल संरक्षण में उनकी सहायता प्राप्त करने के

साथ ही प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 1993 से इस उत्सव को मनाना शुरू किया गया।

उल्लेखनीय है कि यह अभियान यू एन अनुशंसा को लागू करने के साथ ही सदस्य राष्ट्र सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरूआत से ही विश्व जल दिवस पर वैश्विक संदेश फैलाने के लिए थीम (विषय) का चुनाव करने के साथ ही विश्व जल दिवस को मनाने के लिए यू एन उत्तरदायी होता है। विश्व जल दिवस 2018 का थीम (विषय) "जल के लिए प्रकृति के आधार पर समाधान" है। विश्व जल दिवस विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और क्रियाकलापों के आयोजन के द्वारा मनाया जाता है जैसे दृश्य कला, जल के मंचीय और संगीतात्मक उत्सव, स्थानीय तालाब, झील नदी और जलाशय की सैर, जल प्रबंधन और सुरक्षा के उपर स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चा, टीबी और रेडियो चैनल या इंटरनेट के माध्यम से संदेश फैलाना, स्वच्छ जल और संरक्षण उपाय के महत्व पर आधारित शिक्षण कार्यक्रम आदि। नीले रंग की जल की बूंद की आकृति विश्व जल दिवस उत्सव का मुख्य चिन्ह है।

वर्तमान परिदृश्य

हम अपने चारो ओर नजर उठाकर देखें तो पाएँगे-तालाबों, झीलों, नदियों और सागरों में पानी ही पानी है। हमें अपने चारों ओर अनन्त जलराशि दिखायी पड़ती है। फिर भी कितनी विचित्र बात है कि यह सारा पानी धरती के हरेक आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए नाकाफी है। वास्तविकता यह है कि धरती पर मौजूद सारे पानी का अधिकांश (97. 4 प्रतिशत) समुद्रों में भरा पड़ा है। यह सारा जल खारा है, जो सीधे हमारे पीने लायक नहीं है। इसके बाद थोड़ा पानी (1.8 प्रतिशत) ध्रुवों की बर्फ के रूप में विद्यमान है। हमारे पीने लायक मीठा पानी सारे पानी का बमुश्किल 0.8 प्रतिशत है जो हम रोजमर्रा के कामों में लाते हैं और वह भी प्रदूषण की मार से अछूता नहीं है।

सच पूछिए तो दुनिया भर के हरेक आदमी के लिए यह मीठा पानी पर्याप्त नहीं है। दिन-ब-दिन यह संकट गहराता ही जा रहा है। बढ़ती आबादी और पानी की बढ़ती खपत के कारण जल संकट गहराता जा रहा है जिससे भविष्य की तस्वीर बड़ी भयावह है। ऊर्जा संकट और प्रदूषण दोनों समस्याएँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऊर्जा संकट की मार हम झेल ही रहे हैं, पूरी मानवता के समक्ष सबसे भीषण संकट है पीने वाले पानी की कमी। आँकड़ों पर नजर डालें तो पता लगेगा कि प्यास से तड़पती दुनिया की अधिसंख्य आबादी बहुत जल्द ही पानी के अभाव में दम तोड़ देगी।

1. संयुक्त राष्ट्र संघ के आँकड़ों के अनुसार 6 अरब की आबादी वाली दुनिया में हर छठा व्यक्ति नियमित सुरक्षित पेयजलापूर्ति से वंचित है।
2. दुनिया के 2.4 अरब लोग पर्याप्त साफ-सफाई की सुविधा से वंचित हैं।
3. जल संवाहित रोगों के कारण हर आठवें सेकेंड में एक बच्चा मौत की भेंट चढ़ जाता है।
4. सन 2032 तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी पानी की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में रहने को विवश होगी।
5. अनुमानतः विश्व जनसंख्या के 1.1 अरब लोग जलापूर्ति और 2.4 अरब लोग स्वच्छता की सुविधाओं से वंचित हैं। समाज का निर्धन तबका इसकी चपेट में है।
6. लगातार बढ़ती आबादी और पानी की खपत के कारण पानी संकट भविष्य में और गहराता जायेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा।
7. पिछले शती में विश्व जनसंख्या तीन गुनी बढ़ चुकी है और इसी अवधि में पानी की खपत 6 गुनी बढ़ चुकी है। अनुमानतः वर्ष 2050 तक संसार का हर चौथा आदमी पानी की समस्या से ग्रस्त होगा।
8. अगले 50 वर्षों के दौरान 60 देशों की 7 अरब आबादी को पर्याप्त जल मुहैया नहीं होगा।
9. अगलें दो दशकों में पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों में पानी का घोर संकट व्याप्त हो जायेगा।
10. विगत शती के दौरान लगभग आधी दलदली जमीन समाप्त हो गयी। बहुत सी नदियाँ अब सागरों तक नहीं पहुँच पाती। मृदुजल में पाई जाने वाली मछलियों की 20 प्रतिशत प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। गहराते जल संकट के इन पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव होगा जो हमारे स्वयं के अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध होगा।
11. मानव जाति की क्षुधा तृप्त करने के लिए अन्न ही आधार है जो कृषि पर निर्भर है। सुरसा के मुँह की तरह बढ़ती आबादी की क्षुधा तृप्त करने के लिए खेती में पानी का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। स्वाभाविक है भविष्य में दूसरे उपयोगों के लिए पानी की कमी होगी ही।
12. बढ़ती आबादी के साथ ऊर्जा संसाधनों की माँग बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रदूषण-रहित ऊर्जा स्रोत-पनबिजली पर अधिकाधिक निर्भरता होगी और विश्व में गहराता जल संकट इनकी माँग को पूरा कर पाने में अक्षम होगा।
13. बढ़ते औद्योगिकरण का जल संसाधनों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उद्योगों में पानी की सर्वाधिक खपत होती है, साथ ही ये कचरा युक्त पानी, औद्योगिक उच्छिष्ट (Industrial Effluents) जलाशयों में डालकर जल प्रदूषण बढ़ाते हैं जिसका जलीय सम्पदा और मनुष्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल संकट और जल प्रदूषण दोनों समस्याएँ भविष्य में और भी गहराती जाएगी।
14. अधिसंख्य उद्योग शहरों के आस-पास ही स्थापित हैं। शहरीकरण भी तेजी से अपने पाँव पसार रहा है। बढ़ते शहरीकरण का बोझ भी जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। अनुमानतः 2020 तक कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत अंश शहरों में आवास करेगा। ऐसी स्थिति में जलीय संसाधनों की कमी और उनके प्रदूषण की समस्या और भयावह होगी।
15. पानी के वर्तमान संकट के लिए बढ़ता हुआ हरित गृह प्रभाव (Green House Effect) भी जिम्मेदार है। पानी के वर्तमान जल स्तर के 20 प्रतिशत के लिए जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण है।
16. विश्व मौसम संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और आईपीसीसी (Intergovernmental Panel Climate Change) के अनुसार हरित गृह गैसों के बढ़ते उत्सर्जनों के कारण इस शती में धरती के ताप में 1.4 डिग्री सेल्सीयस से 5.8 डिग्री से. ताप की वृद्धि अवश्यंभावी है। ऐसे में एक तरफ तो सागरीय जल स्तर में 9 से 88 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी और दूसरी तरफ जल संकट भी और गहन होगा। जिन क्षेत्रों में वर्तमान में पानी की कमी है, भविष्य में उन्हीं क्षेत्रों में पानी का संकट और गम्भीर होता जायेगा।

जल संकट और भारत

आज पूरे भारत में पानी की कमी पिछले 30-40 साल की तुलना में तीन गुणा हो गयी है। देश की कई छोटी-छोटी नदियां सुख गयी हैं या सूखने की कगार पर हैं। बड़ी-बड़ी नदियों में पानी का प्रवाह धीमा होता जा रहा है, कुएं सूखते जा रहे हैं।

1960 में हमारे देश में 10 लाख कुएं थे, लेकिन आज इनकी संख्या 2 करोड़ 60 लाख से 3 करोड़ के बीच है। हमारे देश के 55 से 60 फीसदी लोगों को पानी की आवश्यकता की पूर्ति भूजल द्वारा होती है, लेकिन अब भूजल की उपलब्ध ता को लेकर भारी कमी महसूस की जा रही है। पूरे देश में भूजल का स्तर प्रत्येक साल औसतन एक मीटर नीचे सरकता जा रहा है। नीचे सरकता भूजल का स्तर देश के लिए गंभीर चुनौती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने में भूजल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इससे हमारे अनाज उत्पादन की क्षमता 50 सालों में लगातार बढ़ती गयी, लेकिन आज अनाज उत्पादन की क्षमता में लगातार कमी आती जा रही है। इसकी मुख्य वजह है बिना सोचे-समझे भूजल का अंधाधुंध दोहन। उल्लेखनीय है कि कई जगहों पर भूजल का इस कदर दोहन किया गया कि वहां आर्सेनिक और नमक तक निकल आया है, पंजाब के कई इलाकों में भूजल और कूएं पूरी तरह सूख चुके हैं। 50 फीसदी परंपरागत कुएं और कई लाख ट्यूबवेल सुख चुके हैं। गुजरात में प्रत्येक वर्ष भूजल का स्तर 5 से 10 मीटर नीचे खिसक रहा है। तमिलनाडु में यह औसत 6 मीटर है। यह समस्या आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में भी है। सरकार इन समस्याओं का समाधान नदियों को जोड़कर निकालना चाहती है। इस परियोजना के तहत गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा उत्तर भारत की 14 और अन्य नदियों के बहाव को जोड़कर पानी को दक्षिण भारत तक पहुंचाया जायेगा, क्योंकि दक्षिण भारत की कई नदियां सूखती जा रही हैं। इस परियोजना को अंजाम तक ले जाने के लिए 10 अरब डॉलर से लेकर 200 अरब डॉलर तक की आवश्यकता होगी। परियोजना के तहत लगभग 350 डैम, वाटर रिजर्व और बैराज बनाने होंगे। 12000 से लेकर 13000 किलोमीटर लंबी नहरें होंगी जिसमें प्रति सेकंड 15 क्यूबिक मीटर की गति से पानी का प्रवाह हो सकेगा।

हमने लाखों साल से जमा भूजल की विरासत का अंधाधुंध दोहन कर कितने ही जगहों पर इसे पूरी तरह से सूखा दिया। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जिन जगहों पर नदी के पानी को रोककर डैम, वैराज और वाटर रिजर्व बनाया जाता है वहां से आगे नदी की प्रवाह सिकुड़ने लगता है। भारत का एक-तिहाई हिस्सा गंगा का बेसिन है। इसे दुनिया में सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इस नदी के ऊपर डैम बनने से यह क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। गंगा की लगभग 50 सहायक नदियों में पानी का प्रवाह कम हो गया है। पानी की तीन प्रमुख नदियां-गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना लगातार सिकुड़ती जा रही है। दिल्ली में यमुना के पानी में 80 फीसदी हिस्सा दूसरे शहरों की गंदगी होती है। चंबल, बेतवा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी जैसी अन्य नदियों में भी लगातार पानी कम होता जा रहा है। इससे निपटने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना की चर्चा हो रही है लेकिन पर्यावरणविद् और वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा करने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर नदी में लाखों तरह के जीव-जंतु रहते हैं। हर नदी का अपना एक अलग महत्व और चरित्र होता है। अगर हम उसे आपस में जोड़ देंगे तो लाजमी है कि उन नदियों में जीवन व्यतीत कर रहे जीव-जंतु के जीवन पर विपरीत असर पड़ेगा। हम हिमालयी क्षेत्रों के पानी को दक्षिण भारत में पहुंचा देंगे तो क्या इससे पानी की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? जब इस पानी को दक्षिण भारत ले जाया जायेगा तो कितने ही जंगल डूब जायेंगे। नदी जोड़ो योजना की सबसे पहले बात 1972 में हुई थी, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसे टाल दिया गया था। जानकारों का मानना है कि आर्थिक दृष्टि से इस योजना में बहुत सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे कुदरत के चक्र को क्षति पहुंच सकती है। अगर हम अपने पूर्वजों के विरासत की ओर लौटें तो हम पानी की किल्लत को आसानी से पूरा कर सकते हैं।

महाभारत में सरोवर की चर्चा है। उस जमाने में भी पानी को संचय करने की व्यवस्था थी। गांवों में तालाब-पोखर आज भी हैं। दिल्ली जैसे शहर में सैकड़ो तालाब थे। उसमें पानी जमा होता था और वहां से धीरे-धीरे रिस-रिस कर भूजल के स्तर को बनाए रखता था। हमने विकास की अंधी दौड़ में पोखरों को नष्ट कर मकान बना दिये, खेत बना दिये और उद्योग लगा दिये दूसरी ओर भूजल का लगातार दोहन करते रहे नतीजा आज हमारे सामने है। हम अपने पूर्वजों की जीवन शैली का अनुकरण जरूर करते हैं, लेकिन उनकी सोच को लेकर हम अनभिज्ञ है। हम सुबह-सुबह नहाकर सूर्य को जल जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो सोच है उसे समझने की कोशिश नहीं करते।

विडंबना यह है कि आज हम हवा और पानी को लेकर संवेदनशील नहीं है। हवा और पानी प्रदूषित हो चुका है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम कैसी प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हम नदियों को आपस में जोड़ेंगे तो एक नदी का जहरीला पानी दूसरी नदी में जाएगा ऐसा भी हो सकता है कि कोई सुख जाये। बेहतर हो कि इन्हीं पैसों को खर्च कर परंपरागत स्रोतों को फिर से जिंदा किया जाये। जल संरक्षण में पेड़ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पेड़ों के कारण जमीन में नमी बरकरार रहती है। क्या यह सही नहीं होगा कि नदियों को आपस में जोड़ने के अलावा दूसरे विकल्प तलाशे जायें? जरूरत तो सिर्फ इच्छाशक्ति की है।

जलसंकट से उत्पन्न समस्यायें

जल मानव जाति के लिए प्रकृति के अनमोल उपहारों में से एक है। मानव शरीर में दो तिहाई मात्रा पानी की है इससे स्पष्ट है कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पृथ्वी के सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के लिए जल अति आवश्यक है। हालांकि मानव द्वारा किये गय क्रियाकलाप से पृथ्वी पर शुद्ध जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसका प्रभाव निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देख सकते हैं।

1. **स्वास्थ्य के क्षेत्र में:** रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि दुनिया में पीने लायक पानी उपलब्ध पानी का 0.8 प्रतिशत ही है और वह भी मानवीय कृत्यों से दूषित होता जा रहा है। जल में आवश्यकता से अधिक खनिज पदार्थ, कल-करखानों, औद्योगिक इकाइयों तथा अन्य जल संयंत्रों से निकले अपशिष्ट, मल-मूत्र, मृतजीवी जंतु, कूड़ा-करकट आदि नदियों, झीलों तथा सागरों में विसर्जित किये जाते रहने से यह पदार्थ जल के वास्तविक स्वरूप को प्रदूषित कर देते हैं जिसका मनुष्य व अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। दूषित जल के इस्तेमाल से पक्षाघात, पीलिया, मियादी बुखार, हैजा, डायरिया, क्षयरोग, पेचिस, इंसेफलाइटिस, जैसी व्याधियाँ फैलती हैं।

उल्लेखनीय है कि विश्व जनसंख्या के दो अरब लोग दूषित जल जनित रोगों की चपेट में हैं। पूरे विश्व में हर साल मौत की भेट चढ़ने वाले बच्चों में से 60% बच्चे जल संवाहित रोगों से अकाल ग्रस्त हो जाते हैं। प्रतिवर्ष 50 लाख व्यक्ति गन्दे पानी के प्रयोग से मर जाते हैं। हर दिन डायरिया से 6000 लोग मरते हैं जिनमें सर्वाधिक बच्चे होते हैं। मलेरिया से प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक लोग मरते हैं। इनमें सर्वाधिक अफ्रीकी देशों से हैं।

कृषि पर: खेती के लिए जल पहली प्राथमिकता है। बिना पानी के कृषि कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। भूमिगत जल के कम

होने से वैसे क्षेत्रों में जहां पर नदियों व नहरों का अभाव है कृषि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

पर्यावरण: वैश्विक पर्यावरण प्रणालियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के कारण संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके आगे चलकर और भी भयावह हो जाने के खतरे आसन्न हैं। नदियों, झीलों तथा अन्य जल स्रोतों को कम करके तथा उन्हें प्रदूषित करके हम उन प्रणालियों को नष्ट कर रहे हैं जिनसे हमें मृदु जल प्राप्त होता है। जल संकट के कारण कई जीव-जंतुओं की प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं।

प्राकृतिक आपदाएँ: जल संकट के कारण सूखा की समस्या विकराल हो गई है और यह 1996 के बाद से दोगुना हो गई है। गत दशक में सूखा से लगभग 5 लाख लोगों की जान चली गई।

नगर: जल संकट की स्थिति से नगरों व महानगरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। नगरों में स्वच्छ जल नहीं मिलने के कारण लोगों का जीवन नरकीय बनता जा रहा है।

भारत में जल संकट के कारण

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रश्न उठता है कि भारत में जल संकट की यह स्थिति किन कारणों से उत्पन्न हुई है? इसके एक नहीं अनेक कारण हैं, ये कारण प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित भी। हालांकि अधिकांश कारण मानव निर्मित ही हैं। ये कारण इस प्रकार हैं-

1. सूखा पड़ना जल संकट का प्रमुख कारण है। सूखा पड़ना कोई दैवीय प्रकोप नहीं एक सामान्य भौगोलिक घटना है और जलवायु का एक गुण है। सूखा कई तरह का हो सकता है। इसमें मुख्य जलवायविक सूखा है जो तब पड़ता है जब औसत से कम वर्षा की अवधि लम्बी हो जाती है। यही जलववायविक सूखा अन्य प्रकार के सूखे का कारण बनता है।
2. बढ़ती हुई जनसंख्या जलसंकट का एक प्रमुख कारण है। जिस दर से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए हम जल्दी ही चीन को पछाड़कर शीर्ष पर पहुँच जायेंगे। सभी के लिये पेयजल की व्यवस्था करना हमारे लिये एक गम्भीर चुनौती होगी।
3. भारत में कृषि कार्यों में जल का अनियंत्रित तरीके से उपयोग हो रहा है। हरित क्रांति के पश्चात् तो सिंचाई के लिए भूमिजल का उपयोग तेजी से बढ़ा है। पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई के लिए अन्धाधुंध ट्यूबवेल लगाये गये जिससे वहां भूजल स्तर तेजी से घटा है। भारत में कृषि कार्यों में लगभग 70 प्रतिशत जल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह प्रतिशत और तेजी से बढ़ता जा रहा है।
4. घरों में दिन प्रतिदिन के उपयोग में पानी का अनियंत्रित तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम ब्रश करते समय या शेव बनाते समय नल खुला छोड़ दें तो लगभग 25 लीटर पानी बर्बाद होता है। आधुनिक जीवन शैली के कारण भी पानी की बर्बादी बढ़ गयी है। टॉयलेट का फ्लश एक बार चलाने पर 15 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। घरों तथा क्लबों में बने हुए तरण तालों में हजारों गैलन पानी इस्तेमाल होता है।
5. जल प्रबंधन के अभाव में भी पानी की बहुत बर्बादी होती है। केवल देश के महानगरों में ही पाइपलाइनों की खराबी के कारण प्रतिदिन लगभग 20 से 40 प्रतिशत पानी बेकार बह जाता है।
6. जल प्रदूषण के कारण भी जल संकट बढ़ा है। अधिकांश व्यक्तियों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। भारत में औद्योगिकीकरण के कारण अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित हो चुका है।
7. भारत में शीतल पेय तथा मिनरल वाटर कंपनियों का कारोबार बढ़ता जा रहा है। लोगों में ऐसा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि बोतलबंद पानी ही सबसे शुद्ध होता है। इस कारण बोतलबंद पानी की खपत बढ़ी है और ये कंपनियां अपने उत्पादों के लिये भूजल का अंधाधुंध दोहन कर रही हैं।
8. विभिन्न राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद भी जल संकट का कारण बन जाते हैं। इन विवादों का कोई ठोस हल न निकलने के कारण जनता जल संकट से प्रभावित होती है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद और दिल्ली एवं हरियाणा के बीच यमुना जल विवाद इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
9. पेयजल तथा जल संरक्षण संबंधी योजनाओं पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की ओर से शिथिलता भी जल संकट का प्रमुख कारण है। ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की भांति जल संसाधनों का भी देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, किंतु फिर भी जल प्रबंध को अभी तक हमारे देश में एक गम्भीर मुद्दे के रूप में नहीं लिया गया है।

जल संकट से निपटने के प्रभावी उपाय

जल संकट से निपटने के लिए अभी हमारे देश में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें जल संकट से निपटने के लिए दूरदर्शी और दीर्घकालीन उपाय करने होंगे क्योंकि यह समस्या भविष्य में और बढ़ने वाली है। ऐसे ही कुछ प्रमुख उपाय निम्न प्रकार हैं-

1. सर्वप्रथम कृषि में हो रहे जल के उपयोग को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए सिंचाई के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही फसलों के चयन में भी आवश्यकतानुसार बदलाव करने होंगे।
2. जल संचय हेतु गांवों एवं शहरों में ठोस योजना बनायी जानी चाहिये। बड़े रिहायशी भवनों तथा व्यावसायिक भवनों में वर्षाजल संचयन प्रणाली अनिवार्य कर दी जानी चाहिये और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।
3. अंधाधुंध लगने वाले ट्यूबवेलों और सबमर्सिबल पम्प पर रोक लगनी चाहिये तथा इसके लिये सजा का प्रावधान भी होना चाहिये।
4. नदियों की सफाई योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिये और नदियों को गंदा करने वाले उद्योगों के विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिये।
5. व्यक्तिगत स्तर पर भी हम जल की बर्बादी को रोकने के लिये बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें दिन प्रतिदिन के उपयोग में पानी किफायत से खर्च करना चाहिये। घरों में पानी की इस तरह व्यवस्था हो कि टॉयलेट के फ्लश इत्यादि में रिसाइकिल्ड पानी का इस्तेमाल किया जाये। हाथ व बर्तन इत्यादि धोने में इस्तेमाल किये गये पानी का उपयोग हम पौधों की सिचांई जैसे कार्यों में कर सकते हैं।
6. तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित कर हम पेयजल की बढ़ती मांग और भूजल के अधिक दोहन को नियंत्रित कर सकते हैं।
7. जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि हमारे देश में पानी की पाइपलाइनों की खराबी के कारण बहुत सा पानी बर्बाद हो जाता है। अत: वाटर पाइपलाइन नेटवर्क को दुरूस्त रखा जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पानी के कनेक्शन के बिलों का भुगतान उपभोग की गई जलराशि के आधार पर किया जाना चाहिये।

8. सर्वप्रथम जल बंटवारे को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच दशकों से विवाद चल रहे हैं। यही नहीं, पड़ोसी देशों के साथ भी जल बंटवारें को लेकर भारत के कई विवाद चल रहे हैं। इन विवादों का व्यावहारिक हल निकाले जाने की आवश्यकता है ताकि विवाद के कारण प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिल सके।
9. विश्व में जल के सबसे बड़े स्रोत समुद्र है किंतु विडम्बना यह है कि इसका जल मनुष्य के उपयोग लायक नहीं है। दु:खद बात यह है कि हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में तो तमाम खोजें कर रहे हैं किंतु समुद्री जल का शोधन करने की किफायती तकनीक अभी तक नहीं खोज पाये हैं। इस दिशा में अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता है ताकि समुद्र जल का उपयोग मानव जीवन में विभिन्न कार्यों में किया जा सके। किंतु यह ध्यान रखाना होगा कि समुद्र जल के शोधन की ऐसी तकनीक पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो।

निष्कर्ष

यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट न सिर्फ वर्तमान की बल्कि भविष्य में मानव के सामने आने वाली संकट की एक बेहतरीन झलक है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। सम्भवत: तत्कालीन परिस्थितियों में उनका यह वक्तव्य एक अतिशयोक्ति रहा हो, किंतु उसमें भविष्य के खतरे की झलक अवश्य दिखाई देती है। अच्छा होगा कि हम समय रहते चेत जायें, वरना कुछ दशकों बाद शायद हमें चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3
आपदा और आपदा प्रबंधन।

■

4. भारत–अफ्रीका संबंध का नया परिदृश्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 44 अफ्रीकी देशों द्वारा अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के तहत किगाली रवांडा में अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया (एएफसीएफटीए) समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। 55 सदस्यीय राज्य वाले अफ्रीकी संघ में से 10 सदस्य देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है ।

नाइजीरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सबसे अधिक आबादी वाला, देश भी है जिसने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बुहारी ने कहा हम ऐसी किसी भी चीज से सहमत नहीं होंगे जो स्थानीय निर्माताओं और उद्यमियों को कमजोर करेगा, या नाइजीरिया को तैयार माल का एक डंपिंग ग्राउंड बना देगा। इस शिखर सम्मेलन को बनाए रखने का उद्देश्य ए.यू. 2063 परियोजना के तहत अफ्रीकी एकीकरण को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। सरकार के अफ्रीकी प्रमुख 2012 में महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने और 2015 में वार्ता शुरू करने के लिए सहमत हुए थे। 1.2 अरब लोगों को एक ही बाजार में एक साथ लाने की क्षमता के साथ ही अफ्रीकी नेताओं द्वारा जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है वो अंतर-अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा दे सकता है।अगर यह सफल हो जाए तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद से यह सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा।गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने और आयात शुल्क जैसे व्यापार के लिए बाधाओं में कमी से अफ्रीकी देशों को उम्मीद है कि अंतर-

महाद्वीपीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। एएफसीएफटीए अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार में सुधार कर सकता है, जो कि 2016 के अनुमानों के मुताबिक केवल 10% है।. दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भी है, ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। अफ्रीकी महाद्वीप के भीतर बहुत अधिक बाधाएं हैं और भविष्य में वास्तविक विकास के लिए एकमात्र तरीका व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना है

पृष्ठभूमि

मानव शास्त्रियों की व्याख्याएं कहती हैं कि भारत और अफ्रीका के संबंध शायद दुनिया में किन्हीं दो समुद्रपारीय भू-भागों के बीच सबसे पुराने संबंध हैं। इनका विकास, मानव विकास के साथ-साथ हुआ है। माना जाता है कि विश्व में पहला मानव अफ्रीका महाद्वीप में पैदा हुआ था और उस महाद्वीप के बाद उसका पहला प्रवास दक्षिण एशिया ही था। वैज्ञानिक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि अफ्रीका से पहला मानव अरब की खाड़ी पार करते हुए दक्षिण एशिया में 80 हजार साल पहले आया था। इसका एक सबसे पुख्ता प्रमाण केरल की उन जातियों में देखा जा सकता है जहां धार्मिक अनुष्ठान के समय मुंह से कुछ खास किस्म की ध्वनियां निकाली जाती हैं। इनका कोई विशेष अर्थ नहीं हैं लेकिन यह परंपरा यहां हजारों सालों से है और ठीक कुछ ऐसी ही परंपराएं अफ्रीका की भी कुछ जातियों में पाई जाती हैं। इतिहास बताता है कि भारत और अफ्रीका के बीच सिंधु घाटी सभ्यता के समय से व्यापारिक संबंध हैं। अफ्रीका में अरब सागर के किनारे की प्राचीन बसाहटों के पुरावशेषों से यह बात साबित होती है। मॉनसूनी हवाओं की वजह से भारतीय कारोबारियों का यहां आना-जाना आसान था। अफ्रीका के पूर्वी तट पर वे कीमती पत्थर, हाथी दांत और सोने की खोज में पहुंचते थे।

जब मुद्राएं चलन में आई उस समय सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण के राजव्यापारियों ने पूर्वी अफ्रीका के बरावा, किसमायु, किल्वा, सोफाला और मोंबासा जैसी व्यापारिक रियासतों से अच्छे संबंध कायम कर लिए यहां तक कि भारत में प्रचलित चांदी का सिक्का पूर्वी अफ्रीका में भी चलन में आ गया था। यह यूरोपीय उपनिवेशकाल के समय तक चलता रहा है।

भारतीय संपर्क का असर इस बात से भी समझा जा सकता है कि अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में बोली जाने वाली स्वाहिली भाषा में आज भी हिंदी-उर्दू के कई शब्द शामिल हैं।

भारतीय यहां सिर्फ कारोबार करने नहीं आए बल्कि कुछ यहां स्थायी रूप से बस भी गए। आज पूरे अफ्रीका महाद्वीप में भारतीयों की आबादी तकरीबन 21 लाख के करीब है और ये सरकारी नौकरियों से लेकर चिकित्सा और अकादमिक जैसे

क्षेत्रों में भी स्थान बना चुके हैं। अफ्रीका और भारत के बीच ये अप्रवासी बहुत मजबूत कड़ी हैं।

हाल-फिलहाल की बात करें तो यूरोपीय देशों के उपनिवेश रहे इन देशों और भारत में काफी समानताएं हैं। उपनिवेशकाल के दौरान भी बड़े पैमाने पर यहां भारतीयों का आना जाना रहा है। जब इन देशों को आजादी मिली तो कमोबेश एक जैसे कानून, शासन व्यवस्था और भारत से व्यापार की बुनियाद विरासत में मिली। साथ में एक जैसी गरीबी और पिछड़ापन भी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताये थे। यहीं उन्होंने अपने सत्याग्रह के प्रयोग किये थे।बाद में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटेन के आधिपत्य से सन् 1996 में मुक्त कराने वाले नेता नेल्सन मंडेला ने वहाँ गांधीवादी विचारों को मूर्त रूप दिया।स्वतंत्रता के बाद भारत ने हमेशा उन सभी अफ्रीकी राष्ट्रों के स्वतंत्रता आंदोलन को खुला समर्थन दिया, जो उपनिवेशवादी शक्तियों के विरूद्ध संघर्ष कर रहे थे। सन् 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के बाद अफ्रीकी राष्ट्र प्रमुखता के साथ उसके सदस्य बने। ज्ञातव्य है कि भारत इस आंदोलन के न केवल संस्थापकों में से ही है, बल्कि लम्बे समय तक इसका नेतृत्वकर्ता भी रहा।

क्या है अफ्रीकी संघ ?

अफ्रीकी संघ 54 अफ्रीकी देशों का संघ है। इसका लक्ष्य अफ्रीकी महाद्वीप पर राजनीतिक और आर्थिक सहयोग का बढ़ावा देना है। अफ्रीकी संघ का गठन 2001 में इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में हुआ और इसने अफ्रीकी एकता संगठन ओएयू की जगह ली। संस्था के महत्वपूर्ण फैसले साल में दो बार होने वाली एसेंबली में लिए जाते हैं जिसमें सदस्य देशों के राज्य व सरकार प्रमुख मिलते हैं। संगठन का सचिवालय अफ्रीकी आयोग कहलाता है और उसका मुख्यालय अदिस अबाबा में है।

अंतर अफ्रीकी मुक्त व्यापार प्रणाली से भारत को लाभ

एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बड़े निवेश की जरूरत होती है क्योंकि अफ्रीका को रेलवे के साथ-साथ सड़कों के जरिये जुड़ा होना भी जरुरी है जिसकी वर्तमान अफ्रीका में व्यापक कमी है और इस कमी को भारत अपने निवेश के माध्यम से पूरा कर सकता है जिससे भारत अफ्रीका के व्यापर में अत्यधिक वृद्धि होगी। बताया जा रहा है कि यह समझौता भारत के लिए भी लाभकारी होगा। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (एएफसीएफटीए), जिसका उद्देश्य महाद्वीप में एक मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करना है, भारतीय उद्योग के लिए महान वादा करता है,

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, अफ्रीका में व्यक्तियों, पूंजी, माल और सेवाओं के मुक्त आंदोलन के माध्यम से विकास, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एएफसीटीएफए के पास जीडीपी के लिए 1.2 अरब डालर से अधिक का एक एकीकृत बाजार बनाने की क्षमता है। अत: एफसीएफटीए कई देशों में दाता निधि पर निर्भरता को कम कर देगा।

"जब से राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला कार्यकाल में आए, थे तब से दक्षिण अफ्रीका को भारतीय कारोबार द्वारा महाद्वीप के अन्य देशों के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में देखा गया है अफ्रीकी देशों में भारतीय कंपनियों को व्यापार के लिए एफसीएफटीए प्रोत्साहित करेगा और ब्रिक्स के माध्यम से हमारे पास अफ्रीका में सबसे अच्छी बुनियादी संरचना है।

भारत के लिए क्यों जरुरी है अफ्रीका?

अफ्रीका में विश्व की एक तिहाई आबादी रहती है, जिसमें अधिकांशत: युवा हैं।अफ्रीका महाद्वीप खनिज सम्पदा, भूमि तथा मानवशक्ति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। भारत अफ्रीकी देशों के आधारभूत ढाँचे का विकास करने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सुविधायें, कृषि एवं डिजिटल सुविधाओं के लिए सबसे अच्छा भागीदार हो सकता है। इससे दोनों देशों को लाभ होगा। अफ्रीका आज विश्व की सातवीं सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है। भारतीय मूल के बहुत लोग पूरे अफ्रीका महाद्वीप में फैले हुए हैं, जो दोनों देशों के संबंधों को घनिष्ठ बनाते हैं।भारत ने अफ्रीकी देशों की परियोजनाओं के लिए रियायती ब्याज दर पर एक हजार करोड़ अमरीकी डॉलर अनुदान के रूप में दिये हैं। कई भारतीय कम्पनियां अफ्रीकी देशों में काम कर रही हैं। अफ्रीका के विद्यार्थी बड़ी संख्या में शिक्षा के लिए भारत आते हैं। इससे भारत को काफी विदेशी मुद्रा मिलती है।संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत को अफ्रीकी राष्ट्रों के समर्थन की आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता उसे अन्य वैश्विक मामलों में भी होगी।बीते आधे दशक में भारत ने अफ्रीकी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रगति की है लेकिन अब उसे विकास की पटरी पर सरपट दौड़ना है तो निवेश के लिए नया बाजार चाहिए साथ में कच्चे माल की मंडी भी। वहीं अफ्रीकी देशों ने बीते सालों में विकास के मोर्चे पर उम्मीद जगाने वाले प्रदर्शन किये हैं। उन्हें भी अब आगे बढ़ने के लिए भारतीय विशेषज्ञता और निवेश की जरूरत है।

पृथ्वी के दूसरे सबसे बड़े और घनी आबादी वाले इस महाद्वीप की जनसंख्या फिलहाल तकरीबन 1.17 अरब है। इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अभी 2.8 ट्रिलियन डॉलर है और यह पांच प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2025 तक अफ्रीका के ज्यादातर देश मध्य आयवर्ग वाले देशों में शामिल हो जाएंगे और 2050 तक उसका जीडीपी 29 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के अनुमान बताते हैं कि भारत की जीडीपी भी तब तक 33 ट्रिलियन डॉलर से 55 ट्रिलियन डॉलर के बीच हो जाएगी। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2011 में 32.7 प्रतिशत भारतीय और 47.5 प्रतिशत अफ्रीकी प्रतिदिन 1.25 डॉलर से कम पर जीवनयापन कर रहे थे। यानी दोनों की 90 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही थी और यह संख्या विश्व में गरीबों की आबादी का 70 फीसदी हिस्सा है। लेकिन तेज विकास दर के बूते भारत में बीते एक दशक के दौरान 17 फीसदी लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं वहीं अफ्रीका की 10 फीसदी आबादी मध्यवर्ग में शामिल हुई है।

विश्व बैंक का अनुमान है कि अपनी युवावर्ग की जनसंख्या की बदौलत 2050 तक भारत में विश्व का सबसे बड़ा मध्य वर्ग होगा। अगले चार दशक में 18 करोड़ लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इस वर्ग की अर्थव्यवस्था में अपनी जरूरतें होंगी और विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए तब भारत को अफ्रीकी देशों के संसाधनों की ओर देखना होगा।

वहीं दूसरी तरफ चीन, भारत और ब्राजील के बाद अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि उसमें विश्व अर्थव्यवस्था का इंजन बनने की पूरी संभावनाएं हैं। उसके सुरक्षित प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या में युवाओं की हिस्सेदारी देखते हुए आने वाले दशकों में इन संभावनाओं के वास्तविकता में बदलते देर नहीं लगेगी। भारतीय कंपनियां तेजी से अपना कारोबार दूसरे देशों में फैला रही हैं और ऐसे में वे अफ्रीकी देशों के लिए चीन पर निर्भरता घटाने के अवसर उपलब्ध करा सकती हैं। आधुनिक कारोबार की बात करें तो भारत और अफ्रीका के बीच पहली बार 1995 में एक अरब डॉलर का कारोबार हुआ था लेकिन इसके बाद वह तेजी से बढ़ा। 2008 में यह 35 अरब डॉलर को पार कर गया और उसके तीन साल बाद 45 अरब डॉलर अनुमान लगाया जा

रहा है कि इस साल यह 70 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल, गैस, खनिज और सोना आयात करता है और अफ्रीका के छह देश - नाईजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, मिस्र, अल्जीरिया और मोरक्को, कुल मिलाकर इस आयात की 90 प्रतिशत आपूर्ति करते हैं। वहीं भारत मुख्यरूप से इन्हें मशीनरी का निर्यात करता है। अफ्रीका में भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी चीन है और उससे काफी आगे भी है। इस साल चीन की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। वहां मांग घट रही है और इसका सीधा असर अफ्रीकी निर्यातकों पर हो रहा है। भारतीय कंपनियां तेजी से अपना कारोबार दूसरे देशों में फैला रही हैं और ऐसे में वे अफ्रीकी देशों के लिए चीन पर निर्भरता घटाने के अवसर उपलब्ध करा सकती हैं।

विश्व की तमाम वित्तीय संस्थाओं के मुताबिक भविष्य में चीन की आर्थिक विकास दर और धीमी ही होगी। इस लिहाज से भारत के पास इस महाद्वीप में चीन का असर कम करने का यह सबसे बड़ा अवसर है।

अफ्रीकी देशों के लिए भारत का सहयोग राजनीतिक स्थिरता पाने के लिए भी चीन से ज्यादा कारगर है। भारत इन देशों में लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कई तरह से सहयोगी की भूमिका निभा सकता है। अंततः यह कोशिश भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होगी क्योंकि अफ्रीका में 54 देश हैं और ये सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। कारोबारी सहयोगी बनने के साथ-साथ ये देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली समर्थक समूह की भूमिका भी निभा सकते हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए भारत के पास अफ्रीका से सबंध स्थापित करने का बेहतर अवसर है। ज्ञातव्य है कि अफ्रीकी देश कई प्रकार के संसाधनों से संपन्न हैं। भारत को यदि अपनी विकास की रफ्तार को बनाए रखना है तो अफ्रीकी संसाधनों की ओर जरूर देखना होगा। भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल गैस, खनिज और सोने का 90% आयात अफ्रीकी देशों से करता है। अतः भारत को यदि अफ्रीकी देशों से लाभ प्राप्त करना है तो इसे अफ्रीका में निवेश को बढ़ाना होगा और वर्तमान अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया (एएफसीएएफटी) समझौतें ने इसको और सुगम बना दिया है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

5. एससी/एसटी एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का नया नजरिया

चर्चा का कारण

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के दुरूपयोग पर चिंता जताते हुए इसके तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी न किए जाने का आदेश दिया है। इसके अलावा एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस कानून के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी के बजाय पुलिस को 7 दिन के भीतर जांच कर फिर आगे एक्शन लेना चाहिए।

जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की बेंच ने अग्रिम जमानत का प्रावधान जोड़ने का आदेश दिया। इस एक्ट के सेक्शन 18 के मुताबिक दर्ज केसों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। बेंच ने कहा कि बेगुनाह लोगों का सम्मान और उनके हितों की रक्षा के लिए ऐसा प्रावधान किया जाना जरूरी है। जजों ने कहा कि किसी भी एक्ट को ब्लैकमेल का जरिया या निजी रंजिश निकालने का उपकरण नहीं बनने दिया जा सकता।

बेंच ने कहा कि एससी/एसटी एक्ट का मतलब जातिवाद को बनाए रखना नहीं है, क्योंकि इससे समाज और संवैधानिक मूल्यों पर विपरीत असर पड़ सकता है।

अदालत ने कहा कि इस एक्ट के दुरूपयोग को रोकने के लिए जरूरी है कि इसके तहत दर्ज कराए गए मामलों में डीएसपी की ओर से शुरूआती जांच की जाए। इससे पता चल सकेगा कि आरोप सही है या फिर किसी तरह का बदला लेने या किसी के उकसावे में ऐसा किया गया है। बेंच ने कड़े लहजे में कहा कि यदि किसी कानून का दुरूपयोग बेगुनाह लोगों को क्रिमिनल केसों में फंसाने के लिए होता है तो अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों के दुरूपयोग की रोकथाम के मकसद से ये दिशानिर्देश जारी किए हैं। अगर किसी कानून का लगातार बेजा इस्तेमाल होता हो तो इस तरह की व्यवस्था वाजिब है।

एससी/एसटी एक्ट क्या है?

यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है। अधिनियम अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में यह अधिनियम अत्याचार निवारण (Prevention of Atrocities) या एससी/एसटी अधिनियम कहलाता है। यह अधिनियम 11 सितंबर, 1989 को अधिनियमित किया गया था जबकि 30, जनवरी, 1990 से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किए गए अपराध गैर-जमानती (Non Bailable) तथा संज्ञेय (congnizable) अपराध हैं।

पृष्ठभूमि

आज देश को गणतंत्र हुए 69 साल हो गए। हमारे संविधान के मुताबिक देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक एक समान है। सभी को देश में अपने जीवन को खुल के जीने का हक है। खुल कर जीने का, जो दिल में है वह बोलने का और साथ ही साथ मिलकर आगे बढ़ने का हक है। लेकिन भारत देश में एक ऐसा वर्ग है, जो हमेशा से समाज के हाशिये पर रहा है, वो है एसटी/एससी। आजादी के बाद इस बुराई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठायें हैं। इस दिशा में सुधार के लिए सरकार द्वारा 1955 में अस्पृश्यता (अपराध निवारण) अधिनियम लाया गया था। लेकिन इसकी कमियों एवं कमजोरियों के कारण सरकार को इसमें व्यापक सुधार करना पडा। 1976 से इस अधिनियम का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में पुनर्गठन किया गया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के अनेक उपाय करने के बावजूद उनकी स्थिति दयनीय बनी रही। उन्हें अपमानित एवं उत्पीडित किया जाता रहा। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न को रोकने तथा दोषियों पर कार्रवाई

करने के लिए विशेष अदालतों के गठन को आवश्यक समझा गया। उत्पीडन के शिकार लोगों को राहत, पुनर्वास उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी। इसी पृष्ठभूमि में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 बनाया गया। इस अधिनियम का स्पष्ट उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को सक्रिय प्रयासों से न्याय दिलाना था ताकि समाज में वे गरिमा के साथ रह सकें। उन्हें हिंसा या उत्पीड़न का भय न सताए। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता के व्यवहार को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया तथा ऐसे किसी भी अपराध के लिए अधिनियम में कठोर सजा का प्रावधान किया गया।

केंद्र सरकार ने दिसम्बर, 2015 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम-1989 में संशोधन किया था। संशोधन का उद्देश्य-अत्याचार के पीड़ितों, एससी/एसटी को उदार और शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए तथा महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में विशेष संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया था।

- संशोधन प्रावधानों ने राहत पैकज को 75000 से 7,50,000 तथा 85000 से 8,50,000 तक बढ़ा दिया है जो अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
- इसके अलावा गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए एससी/एसटी की महिलाओं को राहत प्रदान की जाएगी चाहे अंत में उनके द्वारा लगाये गए आरोप सत्यापित ना हों।
- इस कानून की न्याय प्रदान करने में सक्षमता की जाँच करने हेतु राज्य, जिला और उपसंभाग स्तरीय समितियों की बैठकों में नियमित समीक्षा करना।
- 60 दिनों के भीतर जाँच पूरी करना और आरोप पत्र दाखिल करना।
- पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिनों के भीतर राहत का प्रावधान।
- इसके अलावा बालात्कार और सामूहिक बलात्कार के पीड़ितो के लिए पहली बार राहत के प्रावधान किये गए हैं।
- अत्याचारों की सूची में नए अपराधों जैसे सिंचाई सुविधाओं का उपयोग न करने देना, वन अधिकार की प्राप्ति में बाधक बनना आदि को सम्मिलित किया गया है।

वर्तमान परिदृश्य

अपराध के बारे में क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देखने से पता चलता है कि एससी/एसटी एक्ट में ज्यादातर मामले झूठे पाए गए। कोर्ट ने कुछ आंकड़े फैसले में शामिल किय हैं जिसके मुताबिक 2016 में पुलिस जाँच में एसटी/एससी को प्रताड़ित किये जाने के 5347 केश झूठे पाए गए। इतना ही नहीं वर्ष 2015 में एसटी/एससी कानून के तहत अदालत ने कुल 15638 मुकदमे निपटाए, जिसमें से 11024 केस में अभियुक्त बरी हुए या आरोप मुक्त हुए जबकि 495 मुकदमें वापस ले लिए गए एवं सिर्फ 4119 मामलों में ही अभियुक्तों को सजा हुई।

निर्णय के पक्ष में तर्क

अप्रैल 2010 में दिल्ली की एक अदालत ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम के दुरूपयोग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 'कामिनी लऊ' ने कहा कि दुर्भाग्य से, झूठे मुकदमों की तादाद बढ़ती जा रही है।

- कुछ लोग अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को कथित अत्याचार का रंग देकर अपना व्यक्तिगत हिसाब-किताब बराबर करते रहते हैं।
- क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े देखने से पता चलता है कि एसटी/एससी एक्ट में ज्यादातर मामले झूठे पाए गए।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इस कानून के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने आदेश में एससी/एसटी ऐक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई है और कहा है कि इस ऐक्ट के तहत दर्ज मामलों में जांच के बाद ही आरोप सही पाये जाने पर गिरफ्तारी की जानी चाहिए।
- यह सही है कि समाज और कार्यालयों में दलितों के साथ भेदभाव होता रहा है, लेकिन कई मामलों में बेगुनाह लोगों को इसमें फंसा देने की संभावना भी निरंतर बनी रहती है।
- इससे कार्यालयों में जाति-पाति से उपर उठकर काम करने में सहुलियत होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में यह कहा कि हमारे पास एक ऐसा देश होना चाहिए, जो जाति-पाति से हटकर हो।
- इस कानून के तहत जांच का जिम्मा वरिष्ठ अधिकारियों को दिये जाने से न्याय प्रभावित नहीं होगा क्योंकि इसमें वरिष्ठ अधिकारी को जवाबदेही के साथ जांच करनी पड़ेगी।

विपक्ष में तर्क

महाराष्ट्र पुलिस ने विस्तृत आंकड़ों के आधार पर सरकार को बताया था कि यह कानून दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करता है और इसका बेजा इस्तेमाल नहीं होता है। पुलिस ने अपनी एक अन्य रिपोर्ट में बताया कि ज्यादातर आरोपियों के बरी होने का कारण उनका निर्दोष होना नहीं है बल्कि गवाह का अपने बयान से पलट जाना है।

- हाशिये पर जीने वाले दलित-वंचित समुदायों की सामाजिक हैसियम अपेक्षाकृत निम्न दर्जे की होती है। उन्हें चुप कराने के लिए आज भी समाज की वर्चस्वशाली जातियों के लोग विभिन्न तौर-तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
- सरकार ने लोकसभा में बताया कि 2016 में देशभर में दलितों के खिलाफ भेदभाव और अपमान से जुड़े 40,774 मामले दर्ज किये गए। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2015 के मुकाबले 2016 में दलित समुदाय के खिलाफ अत्याचार और अपराध के मामलों 4.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
- ये सही है कि कुछ मामले झूठे हैं लेकिन इससे एसटी/एससी अपराध में और वृद्धि होने की संभावना है।
- देश में अभी भी दलित समाज, समाज की मुख्य धारा से वंचित हैं। इस दृष्टिकोण से उनका बड़े अधिकारियों तक पहुँच पाना मुश्किल होगा अर्थात वे अपनी आवाज आसानी से नहीं उठा पायेंगे।

आगे की राह

निर्णय के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह मत है कि देश के किसी भी कानून का उद्देश्य व्यक्ति मात्र के हितों और अधिकारों की रक्षा करना होता है। विधि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाती। ऐसे में यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के आधार पर दर्ज शिकायतों एवं आरोपों में से ज्यादातर बेबुनियाद या पक्षपाती पाये जाते हैं तो इसकी समीक्षा अनिवार्य हो जाती है। इसके लिए एक उचित संस्था अथवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो भारी संख्या में क्लोजर रिपोर्ट और आरोपियों के बरी होने के कारण का एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत कर सके। ताकि यह स्थिति स्पष्ट हो सके कि इन क्लोजर रिपोर्ट और बरी होने के मामलों के पीछे आरोप लगाने वाले व्यक्ति की दुर्भावना है अथवा पीड़ित की निम्न सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत किसी प्रकार का अन्य भय।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

6. रोहिंग्या समस्या पर वैश्विक पहल

चर्चा का कारण

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चल रहे ऑस्ट्रेलिया आसियान सम्मेलन में म्यांमार की नेता 'आंग सान सू की' ने दक्षिण पूवी-एशियाई देशों से रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाते हुए इनके संकट में मदद की अपील की है। इस बार सम्मेलन में मानवीय संकट का मुद्दा छाया रहा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल ने कहा कि हमने रखाइन प्रांत की स्थिति पर चर्चा की है। उन्होंने कह, आंग सान सू की ने आसियान व अन्य देशों से मानवता के आधार पर समर्थन की मांग की है। पिछले साल अगस्त में म्यांमार के रखाइन में बर्बर सैन्य कार्रवाई से 65,000 से अधिक रोहिंग्या नागरिकों को बांग्लादेश जाना पड़ा इस पर सू की को अपनी चुप्पी के लिए विश्व में आलोचना झेलनी पड़ रही है।

आसियान के अध्यक्ष सिंगापुर के प्रधानमंत्री 'ली सीन लूंग' ने कहा कि म्यांमार के पड़ोसी मौजूदा स्थिति के लिए चिंतित हैं। दोनो नेताओं ने कहा कि वे विस्थापित हुए लोगों को मानवीय मदद का समर्थन करते हैं। मलेशिया के नेता नजीब रज्जाक ने म्यांमार की सू की पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रोहिंग्या संकट से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है लेकिन नतीजे के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है। दोनों नेताओं ने कहा कि वे इस संकट के समाधान के लिए दीर्घावधि प्रयासों पर जोर देंगे।

पृष्ठभूमि

रोहिंग्या मुसलमान आज न सिर्फ अपने लिए, बल्कि दुनिया के लिए भी चिन्ता का सबब बने हुए हैं। म्यांमार शासन से बचने-बचाने से लेकर दूसरे देश में शरण पाने की फिक्र हो या अस्तित्व बचाने से लेकर भविष्य का सवाल- रोहिंग्या मुसलमानों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। अराकान प्रान्त, म्यांमार के पश्चिम और बांग्लादेश के पूरब में स्थित है। रोहिंग्या मुसलमान बर्मा (अब म्यांमार) के अराकान्त प्रान्त में 1400 ईस्वी में आ बसे थे। 1430 ईस्वी में अराकान पर शासन करने वाले बौद्ध राजा 'नारमीखला' ने इन्हें शरण दिया था। जब भारत में मुगलों का शासन कायम हुआ, तो इन रोहिंग्या मुसलमानों की भी सत्ता कायम हुई।

जब हिन्दुस्तान में मुगल कमजोर हुए उसी समय 1785 ईस्वी में बर्मा के बौद्धों का अराकान पर अधिकार हो गया। करीब 35 हजार रोहिंग्या मुसलमान खदेड़ दिए गये या नरसंहार का शिकार हुए। एक बार फिर रोहिंग्या मुसलमानों के दिन फिरे जब अंग्रेजों ने 1824 से 1826 के बीच चले युद्ध में बर्मा को पराजित किया और अराकान पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब अंग्रेजों ने रणनीति के तहत रोहिंग्या मुसलमानों और बंगाल के लोगों को अराकान में बसने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। अंग्रेज 'फूट डालो शासन करो' की जो नीति भारत में चला रहे थे, उसी नीति को वे बर्मा के अराकान में भी अमली जमा पहनाने लगे। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए ये स्थिति अनुकूल थी। उन्होंने बौद्धों के खिलाफ अंग्रेजों का जमकर साथ दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध में बौद्ध-जापानियों से लड़े, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों को बर्मा से खदेड़ दिया गया जापानी सैनिकों के सामने वे टिक नहीं सके तथा बौद्धों के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों से पुराना हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया। जापानी सौनिकों ने जासूसी का आरोप लगाकर रोहिंग्या मुसलमानों के साथ ज्यादती की। इस डर से करीब एक लाख रोहिंग्या मुसलमान एक बार फिर बंगाल भाग गये।

1962 में रोहिंग्यों ने अपने लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की। 1962 में जब जनरल नेविन ने तख्ता पलटा, तब रोहिंग्या मुसलमानों ने भी इस अवसर को स्वतंत्र होने की लड़ाई के तौर पर लिया। मगर, नये सैनिकों ने रोहिंग्या मुसलमानों की आवाज बुरी तरह से कुचल दी उन्हें 'स्टेट लेस' घोषित कर दिया गया। चूकि आम बौद्धों की भावना रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ रही थी जिसकी वहज अतीत में दोनों के बीच हुए संघर्ष का इतिहास रहा है , इसलिए सैनिक शासन ने इस भावना का फायदा उठाते हुए रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म किए। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए 1982 और भी खतरनाक वर्ष रहा, जब सैन्य शासन ने उनके नागरिक अधिकार तक छीन लिए। बुनियादी शिक्षा के साथ हर किस्म की शिक्षा तक से उन्हें वंचित कर दिया गया। उसके बाद से इनकी स्थिति दयनीय होती चली गयी। हिंसा का दौर थमने के बाद भी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कभी सरकारी स्तर पर निर्माण कार्य नहीं कराया गया। एक बार अगर घर टूट गये, मस्जिद टूट गई तो उन्हें दोबारा बनाने के लिए सरकार कभी सामने नहीं आयी। 2016-17 में रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति और दयनीय हुई,। अब इस साल 2017 के 25 अगस्त के बाद से शुरू हुई हिंसा के ताजा दौर में भी लाखों लोगों को घर-बार छोड़ना पड़ा है। इस बार आरोप रोहिंग्या मुसलमानों पर है जिन्होंने संगठित होकर म्यांमार के सैनिकों पर हमला बोला। यहां तक कि लोकतंत्र समर्थक नेता के रूप में दुनिया में नाम कमा चुकी आंग सान सू की भी कह रही हैं कि रोहिंग्या म्यांमार के नागरिक नहीं हैं। बांग्लादेश वर्तमान में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बड़ी शरणस्थली बना हुआ है। वे वहां से भाग कर भारत में भी शरण ले रहे हैं। 6 सौ साल बाद भी रोहिंग्या मुसलमान अराकान प्रान्त में अपनी जमीन सुनिश्चित नहीं करा पाए हैं। अगर वे वहां से भी खदेड़े जा रहे हैं, तो दूसरा देश उन्हें स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। वे जहाँ कहीं भी पहुचें हैं उन्हें शरणार्थी बनकर मुश्किल हालात में जीना पड़ रहा है। ऐसे में बेशकीमती सवाल यह है कि क्या ये धरती रोहिंग्या मुसलमानों की नहीं रह गयी है?

वर्तमान परिदृश्य

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) ने रोहिंग्या मानवीय संकट के लिए 2018 में एक 'संयुक्त रिस्पांस योजना' जारी किया है। इसमें करीब 9 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की तात्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 95.1 करोड डॉलर की राशि की अपील की गई है। समाचार एजेंसी 'सिंहुआ' के अनुसार इस योजना में म्यांमार के-शरणार्थियों को जगह देने वाले 330,000 से ज्यादा असुरक्षित बांग्लादेशियों को भी शामिल किया गया है।

रोहिंग्या संकट के लिए '2018 अपील' शरणार्थियों के लिए यूएन हाई कमिश्नर फिलिपों ग्रांडी, आईओएम महाप्रबंधक विलियम स्वींग और बांग्लादेश में यूएन निवासी समन्वयक 'मिया सेप्यो' द्वारा शुरू की गई है। ग्रांडी ने कहा कि हम वास्तव में दोनों पक्षों की तत्काल जरूरतों के बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें एक पक्ष बांग्लादेशी समुदायों का है जिसने खुले दिल से अपने-दरवाजे खोल दिए और दूसरा पक्ष देश से निकाला गया शरणार्थी अबादी का है। उन्होंने कहा, म्यामार में फैले संकट के समाधान और शर्तें लागू की जानी चाहिए, जिसमें शरणार्थियों को उनके घर वापस जाने की मंजूरी शामिल हो।

यूएन एजेंसियों ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी आबादी को प्रतिदिन 1.6 करोड़ लीटर से ज्यादा स्वच्छ जल, प्रत्येक माह 12,200 मीट्रिक टन खाद्य पदार्थ और कम से कम 180,000 रोहिंग्या परिवारों को खाना पकाने वाले ईंधन की जरूरत है। पिछले सात महीनों से इन लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है तथा 'काक्स बाजार' में स्थिति काफी विकट है। कुतुपालोंग बालुखाली स्थान पर इस समय 6 लाख शरणार्थी रह रहे हैं जिससे यह विश्व का सबसे घनी आबादी वाला शरणार्थी क्षेत्र बन गया है।

अमेरिकी पहल

बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका अब भारत के साथ काम करना चाहता है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रोहिंग्या के मुद्दें पर ट्रंप प्रशासन भारत के साथ काम करना चाहता है। साथ ही वह म्यांमार में उनकी सुरक्षित और स्वैच्छिक वापसी के लिए दबाव बनाना चाहता है। इस पहल में बांग्लादेश और म्यांमार पिछले साल ही रखाइन प्रांत में रोहिंग्या शरणार्थियों की स्वैच्छिक वापसी के लिए सहमत हुए थे। लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक लटकी हुई है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका की भारत के साथ ज्यादा करीब से काम करने की इच्छा है और खुद भारत भी इस समस्या का समाधान चाहता है।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या शरणार्थियों को, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधायें मुहैया कराने के लिए दायर अर्जी के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि, भारतीयों और विदेशियों को स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सुविधाएं मुहैया कराने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र को विभिन्न राज्यों में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों की स्थिति के बारे में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। रोहिंग्या शरणार्थियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा भारत में प्रवेश की अनुमति मांगी है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में शरणार्थी पहचान पत्र दिलाने का आग्रह किया है। ज्ञात हो कि भारत के विभिन्न राज्यों यथा- जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, झारखण्ड तथा राजस्थान में रोहिंग्या शरणार्थी हैं। भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या लगभग 40,000 है।

2012 से 2018 तक रोहिंग्यों की स्थिति

वर्तमान संकट से पहले रोहिंग्या शरणार्थियों की जनसंख्या म्यांमार में लगभग 1.1 से 1.3 मिलियन के आसपास थी। रोहिंग्या संकट 10 जून, 2012 से शुरू होती है। 22 अगस्त, 2012 तक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 88 घटनाएं घटित हुईं जिनमें 57 मुस्लिम और 31 बौद्धों ने अपनी जान गवाई। लगभग 90000 लोगों का घर उजड़ गया, तथा लगभग 2500 घरों को आग के हवाले कर दिया गया।

2015 में म्यांमार सरकार व्यवस्थित तरीके से अल्पसंख्यकों को अलग करना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि हजारों की संख्या में रोहिंग्याओं का पलायन बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाइलैण्ड में हुआ। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जनवरी-मार्च 2015 तक लगभग 25000 लोग विभिन्न नावों में बैठकर दूसरे देशों में शरण लेने को बाध्य हुए तथा उनमें से हजारों लोग काल के गाल में समा गये।

2016-17 में लगभग 1500 शरणार्थी घरों को आग के हवाले कर दिया गया जो म्यांमार देश के सीमावर्ती गाँवों में थे। इस घटना के बाद कई रोहिंग्या महिलाओं के साथ बलात्कार तथा कई बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस संकट के चलते लगभग 92,000 लोगों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ी।

2018 तक स्थिति यह है कि लगभग 40,000 भारत में 6,50,000 से अधिक बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों ने शरण लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60,000 बच्चे इन शरणार्थी कैंपों में जन्म लेने वाले हैं। जिससे स्थिति और भयावह होने वाली है।

रोहिंग्या समस्या और भारत की भूमिका

भारत की शरणार्थी नीतियां तब चर्चा में आई जब सरकार ने 40,000 रोहिंग्या को निर्वासित करने का निर्णय लिया, इस संख्या में 1600 वे रोहिंग्या भी शामिल हैं। जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शरणार्थियों के रूप में पंजीकृत हैं। साउथ एशियन वाइसेस के एक हालिया लेख में कहा गया है कि भारत की नीति रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के विपरीत है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय व्यवस्था भी भारत सरकार के लिए चिंता के विषय हैं। इन चिंताओं ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को निर्देशित किया है, और शरणार्थी नीतियों के लिए सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य किया है। इस मुद्दे के मानवीय पहलू का ध्यान रखना और उस पर आवाज उठाना सही है लेकिन यह इस तरह किया जाना चाहिए जो देश के सुरक्षा हितों के साथ सामंजस्यपूर्ण हो।

रोहिंग्या के बारे में सरकार की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू और सांबा जिले में अनुमानित 10,000 रोहिंग्या बस्ती हो सकती है। सरकार द्वारा जारी एक हालिया शपथ-पत्र के अनुसार रोहिंग्या आईएसआई और अन्य आतंकी संगठनों का हिस्सा नजर आते हैं। साथ ही इनकी कट्टरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। इंटेलिजेंस की जानकारी भी यही बताती है कि अवैध रोहिंग्या प्रवासियों का संबंध आतंकी संगठनों के साथ हो सकता है। विशेष रूप से आतंकवादी समुह की भागीदारी की हालिया रिपोर्ट को देखते हुए, रखाइन की स्थिति, जो कि म्यांमार के रोहिंग्या संकट का केंद्र है भारत के नाजुक पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा हितों को नुकसान पहुँचा सकती है।

अन्य प्रासंगिक सुरक्षा समस्याओं में खासकर भारत में बौद्धों के विरूद्ध सांप्रदायिक हिंसा का खतरा, नकली नागरिकता पत्र, मानव तस्करी और सामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तन शामिल है।

समाधान

- रोहिंग्या के प्रति भारत की अंतिम नीति की रूपरेखा के बावजूद एक प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में, भारत को बांग्लादेश और म्यांमार के साथ इस स्थिति का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।
- भारत-बाग्लादेश म्यांमार ट्राई-जंक्शन क्षेत्र के अलावा, भाारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सक्रिय गश्ती से रोहिंग्या शरणार्थियों या आप्रवासियों की अनियिंत्रित बाढ़ कम करने में मदद मिल सकती है।
- शरणार्थी परिस्थिति के घरेलू समाधान ढूंढने के प्रयास के अलावा, भारत को बांग्लादेश को वित्तीय और मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश शरणार्थी संकट की मार झेल रहा है।
- वैश्विक समुदाय को म्यांमार के राष्ट्र-निर्माण प्रयास को स्थिर करने में मदद करनी चाहिए और म्यांमार राज्य को अपनी नस्ल-आधारित बर्मी बुनियाद से अलग करना चाहिए। भारत से जो हो सके करना चाहिए लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियों और सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। भारत को कुछ इस तरह से नीति बनानी होगी जिससे घरेलू सुरक्षा को बचाया और आगे बढ़ाया जा सके।
- रोहिंग्या शरणार्थी संकट एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बन चुका है और जिस पर हाल ही में चीन ने कूटनीति दिखाई है, उससे इशारा मिलता है कि भारत एक बड़ा मौका खो सकता है। चीन की तरफ से घोषणा की गई है कि, म्यांमार और बांग्लादेश, दोनों का दोस्त होने के नाते बीजिंग रखाइन राज्य से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने का इच्छुक है। चीन इस रवैए के साथ दक्षिण एशिया में खुद की एक सकारात्मक छवि पेश करना चाहता है।
- पिछले छः सौ सालों से रोहिंग्या म्यांमार में रहते आ रहे हैं फिर भी उन्हें म्यांमार की नागरिकता न मिलना एक बड़ी समस्या है। वैश्विक समुदाय को चाहिए की म्यांमार सरकार पर दबाव बनाए तथा रोहिंग्यों को म्यांमार की नागरिकता दिलाने में मदद करें। जब ये म्यामार के नागरिक बन जाएंगे तो अन्य सारी सुविधाएं स्वतः ही उन्हें मिल जाएगी।
- चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रोहिंग्या संकट सुलझाने के लिए एक तीन स्तरीय योजना का खाका पेश किया है। प्रभावित क्षेत्रों में संघर्ष विराम लागू किया जाना, एक बार जब संघर्ष विराम लागू हो जाए तो लोगों को पलायन को रोकना और लोगों का पलायन रूक जाए तो फिर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच बातचीत शुरू करवाना ताकि शरणार्थियों की रखाइन राज्य में वापसी हो सके।
- यह चौकाने वाली बात है कि म्यांमार से इतने पुराने संबंध होने के बावजूद भारत रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर उसके साथ वाजिब ढंग से बात आगे नहीं बढ़ा पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2017 में म्यांमार की यात्रा की थी और वह सही मौका था जब वे इस क्षेत्रीय संकट को सुलझाने में भारत की अगुवा भूमिका सुनिश्चित करते।

निष्कर्ष

हाल के वर्षों में समूचा विश्व शरणार्थी समस्या से जूझ रहा है। अब समय आ गया है कि पूरा विश्व रोहिंग्या समस्या पर खुलकर सामने आए। क्योंकि आने वाले समय में अगर इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं निकाला गया तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। विश्व समुदाय को चाहिए की वो म्यांमार सरकार पर दबाव बनाये इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा का हवाला एक सीमा तक ही प्रासंगिक है इसको दर किनार कर भारत सहित विश्व के देश रोहिंग्या मुसलमानों के पुनर्वास के लिये आर्थिक सहायता मुहैया कराएं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन-संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।

■

7. अनुबंध कृषि की आवश्यकता क्यों?

चर्चा का कारण

हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 का ड्राफ्ट मॉडल जारी किया गया। इस ड्राफ्ट मॉडल एक्ट के तहत अनुबंध खेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) के लिए एक विनियामक और नीतिगत ढांचा तैयार करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि कोई भी राज्य अनुबंध खेती पर कानून बना सकता है। ज्ञात हो कि ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि अनुबंध का मुद्दा संविधान की समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है। सरकार ने साल 2017-18 के बजट में घोषणा की थी कि किसानों को उनके उत्पाद की बेहतर कीमत दिलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया जाएगा। सरकार ने अब इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक

किया है। सरकार लोगो की राय जानने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अंतिम मसौदा तैयार करेगी।

नए ड्राफ्ट मॉडल एक्ट में प्रावधान

वर्तमान में मौजूद अनुबंध खेती की संरचना के साथ विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं जिसके विषय में विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। अनुबंध खेती के कार्यान्वयन से संबंधित मुख्य मुद्दों में शामिल हैं:

1. ज्यादातर राज्यों में पंजीकरण और विवाद निपटान के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किए गए एपीएमसी की भूमिका।
2. अनुबंध खेती के तहत उत्पाद का स्टॉक होल्डिंग सीमा संबंधी प्रावधान।
3. किसानों के बीच अनुबंध खेती के फायदों के संबंध में प्रचार-प्रसार करना।

नीति आयोग द्वारा अनुबंध खेती हेतु एमीएमसी को भुगतान किए गए बाजार शुल्क और अन्य लेवी के संबंध में निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में यह पाया गया है कि एपीएमसी द्वारा बाजार सुविधाएँ और अवसंरचना जैसी कोई भी बुनियादी सेवाएँ नहीं प्रदान की गई हैं। ऐसी स्थिति में कृषि सुधारों पर राज्यमंत्रियों की समिति द्वारा यह सिफारिश की गई है कि अनुबंध खेती

को एपीएमसी के दायरे से बाहर कर देना चाहिए और इसके स्थान पर एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। अतः ड्राफ्ट एक्ट के अनतर्गत अनुबंध कृषि को राज्य एपीएमसी के दायरे से बाहर किया गया है। इससे अब खरीदार को अनुबंध खेती करने के लिए इन एपीएमसी हेतु मार्केट फीस और कमीशन शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा इसके अलावा ड्राफ्ट मॉडल एक्ट के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तर के अनुबंध खेती प्राधिकरण स्थापित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। राज्यों को जारी मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 द्वारा अनुबंध कृषि समझौते के पंजीकरण संबंधी अधिकार प्रदान किए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था कि अनुबंध खेती के संबंध में पैदा होने वाले विवादों के समाधान सहित, कानूनी समर्थन के माध्यम से उत्पादकों और खरीदारों के हितों की रक्षा करना सुनिश्चित था। वर्तमान में कुछ राज्यों में अनुबंध कृषि हेतु पंजीकरण की सुविधा एपीएमसी के तहत उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि कुछ राज्यों में यह सुविधा एक राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के तहत प्रदान की गई है। इसी प्रकार के अनुबंध समझौतों के तहत खरीदारी पर बाजार शुल्क के संबंध में भी यही व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों को तो इस संबंध में पूरी तरह से छूट प्रदान की गई है और कुछ में आशिंक रूप से छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में कृषि सुधारों पर राज्य मंत्रियों की समिति द्वारा सिफारिश की गई है कि एपीएमसी के बजाय जिला स्तर के अधिकारियों को अनुबंध कृषि समझौते के पंजीकरण के लिए प्रबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी रजिस्ट्री प्राधिकारी को खरीदार को वित्तीय स्थिति जैसे विवरण की जाँच संबंधी अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।

ड्राफ्ट मॉडल एक्ट के तहत अनुबंध खेती से संबंधित प्रत्येक समझौते को एक पंजीकरण और करार रिकार्डिंग समिति के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए जिसे कृषि पशुपालन विपणन और ग्रामीण विकास जैसे विभागों के अधिकारियों के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार की समिति को जिला तालुका या ब्लाक स्तर पर स्थापित किया जा सकता है।

नए मॉडल में उत्पादकों और खरीदारों के किसी भी विवाद की स्थिति का सामना करने के लिए एपीएमसी के स्थान पर ब्लॉक, जिला या क्षेत्रीय स्तर पर विवाद निवारण तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के आदेशानुसार अनुबंधित उत्पादन पर स्टॉकहोल्डिंग सीमाओं को अधिरोपित किया जाता है। स्टाक होल्डिंग सीमा के संबंध में बनाए गए ऐसे प्रावधान अनुबंध खेती के क्षेत्र में ठेकेदारों के प्रवेश को न केवल प्रतिबंधित करने का काम करते हैं बल्कि खरीदारों को हतोत्साहित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की गई कि खरीदारों को उनके व्यापारिक हितों की आवश्यकतानुसार छह महीने तक स्टाक की सीमा से छूट दी जा सकती हैं पर ड्राफ्ट मॉडल एक्ट के तहत कृषि उत्पादों के स्टॉक होल्डिंग की सीमा अनुबंध खेती के तहत खरीदी गई वस्तुओं पर लागू नहीं होगी।

केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट खेती अधिनियम के नए ड्राफ्ट में जहां किसानों के हितों की रक्षा पर बल दिया है, वहीं कंपनियों के लिए भी नियम उदार बनाने पर जोर दिया है। नए ड्राफ्ट के अनुसार कंपनी और किसान सीधे अनुबंध कर सकेंगे, इसके लिए कहीं रजिस्ट्रेशन या कोई डाक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इस अनुबंध को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए ऑन-लाईन प्रावधान किया जायेगा। इसके अलावा किसान और कंपनी किसी भी एग्री जिंस, डेयरी या पोल्ट्री उत्पादों में अनुबंध कर सकेंगे। केंद्र सरकार केवल उन्हीं, एग्री जिंसो की एक लिस्ट जारी करेगी, जिन एग्री जिंसों को राज्य सरकार अपने यहाँ उगाने पर प्रतिबंध कर रहा है।

इस मॉडल को कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम से पूरी तरह से अलग रखा गया है। विवादों के निपटारे पर किसान और कंपनी के बीच में अनुबंध के अवसर पर किसान किसी को भी अनुबंध में रख सकता है, जैसे कि गांव के सरपंच या फिर नम्बरदार या अन्य किसी भी व्यक्ति को। अगर यहां भी विवाद का हल नहीं होता है तो फिर 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जायेगी, जिसमें एक सदस्य किसान की तरफ से होगा, दूसरा कंपनी की तरफ से होगा, तथा तीसरा सदस्य इन दोनों से अलग होगा, लेकिन इस विषय का जानकार होगा।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए अनुबंध के समय आस-पास की मंडियों के मॉडल भाव से 10 फीसदी अधिक भाव पर अनुबंध होगा। अगर संबंधित एग्री जिंस का व्यापार आस-पास की मंडियों में नहीं होता है तो फिर होलसेल की मंडियों में सात दिन के भाव के आधार पर औसत कीमत तय की जायेगी, तथा उस पर 10 फीसदी और जोड़कर ही अनुबंध हो सकेगा।

एग्री जिंसों की कीमतों में भारी उठा-पटक होती रहती है, ऐसे में किसी एग्री जिंस में अनुबंध के समय जो भाव तय किया गया है, उसके बाद फसल की कटाई के बाद उसमें बड़ी तेजी या फिर गिरावट आती है तो कंपनी के साथ ही किसान को भी मुनाफे और घाटे में शामिल होना होगा। अगर किसी प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है, तो कंपनी का अनुबंध निरस्त माना जायेगा।

क्या है कॉन्ट्रैक्ट खेती?

कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। खाद बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी सब खर्च कॉन्ट्रैक्टर के जिम्मे होता है। कॉन्ट्रैक्टर ही उसे खेती के गुर बताता है। कॉन्टैक्ट खेती में उत्पादक और खरीदार के बीच कीमत पहले ही तय हो जाती है। फसल की क्वालिटी, मात्रा और उसकी डिलीवरी का वक्त फसल उगाने से पहले ही तय हो जाता है। इसका मकसद फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। सरकार ने कॉन्ट्रेक्ट खेती को बढ़ावा देने के लिये राज्यों के साथ परामर्श कर एपीएमसी अधिनियम 2003 एवं नियम 2007 तैयार किए थे। मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 अन्य बातों के साथ-साथ संविदा कृषि प्रायोजकों के पंजीकरण, खेती के लिए करार या किसी तरह के विवाद का निपटारा करेगा।

कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC)

वर्तमान में कुछ राज्यों में अनुबंध खेती के लिए कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) के द्वारा पंजीकरण किए जाने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि अनुबंध समझौतों को एपीएमसी के साथ दर्ज किया जाता है जो इन अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का काम करती है। इसके अलावा अनुबंध खेती करने के लिए एपीएमसी को बाजार शुल्क और लेवी का भुगतान किया जाना है। मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 के तहत राज्यों को अनुबंध खेती से संबंधित कानूनों को लागू करने संबंधी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस अधिनियम के परिणामस्वरूप 20 राज्यों द्वारा अपने एपीएमसी अधिनियमों में अनुबंध खेती हेतु संशोधन किए गए हैं। हालांकि अक्टूबर 2016 तक केवल 14 राज्यों द्वारा ही अनुबंध खेती से संबंधित अधिसूचित नियमों का पालन किया गया।

अनुबंध खेती की चुनौतियाँ

कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवायजरी कमेटी, सिक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट खेती अधिनियम का ड्राफ्ट अच्छा है लेकिन इसमें थोड़ा और सुधार किया जा सकता है। उन्होंनें बताया कि ड्राफ्ट में बोर्ड बनाने की बात कही गई है, जिसकी तकनीकी तौर पर जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैन्ट खेती किसान और कंपनी के बीच का मामला है जबकि बोर्ड बनाने से इसमें सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती में छोटे किसानों का समूह बनाकर उन्हें कंपनी से जोड़ने पर जोर दिया जाना चाहिए।

कृषि मामलों के जानकारों ने बताया, ''अनुबंध खेती छोटे और सीमांत किसानों को बर्बाद कर देगी। इस तरह की खेती के लिए इन किसानों से अनुबंध नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनियां फसल की एक विशेष मात्रा उपलब्ध कराने की मांग कर सकती हैं, जिसका उत्पादन छोटे किसान अपनी जमीन के छोटे आकार के कारण नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सबसे कमजोर माने जाने वाले किसानों को कॉन्ट्रैक्ट खेती का लाभ कतई नहीं मिल पाएगा।'' अनुबंध खेती से छोटे और मझोले किसान कंपनियों के जाल में फंस सकते हैं। छोटे किसान अक्सर इतने पढ़े-लिखे नहीं होते हैं कि वे अनुबंध और सभी धाराओं की बारीकियों को सही ढंग से समझ सकें। ऐसे में यदि उपज कंपनी के मानकों के अनुरूप नहीं होती है, तो उसे समूची फसल को अस्वीकृत किए जाने की स्थिति का सामना करना पड़ा सकता है। वैसी स्थिति में उसकी परिस्थिति क्या होगी? वह अपनी उपज कहां बेच सकता है? खराब उपज को बेचना आसान नहीं होता। अंत: ऐसे में किसान को घाटा उठाना पड़ेगा।

अनुबंध खेती का एक नुकसान यह भी है कि कंपनियाँ लगातार कई वर्षो तक केवल टमाटर या प्याज का ही उत्पादन करने के लिए विवश कर सकती हैं, जिससे 'मोनोकल्चर' की स्थिति बन जाएगी और उसके पास कोई भी विकल्प शेष नहीं रह जाएगा। जिससे किसानों की खेती करने की आजादी या मनमर्जी खतरे में पड़ जाएगी और यह किसानों की व्यक्तिगत आजादी एवं उनके अधिकारों के लिए एक गंभीर झटका होगा। अनुबंध खेती में निर्धारित कीमतों में खाद्य संबंधी महंगाई का ख्याल नहीं रखा जाता है और अगर उपज का मूल्य बढ़ जाए, तो किसान उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं तथा अप्रत्याशित लाभ नहीं कमा सकते हैं क्योंकि वह अनुबंध के तहत पहले से ही सहमत हुए दाम पर बेचने के लिए विवश होंगे।

- अनुबंध खेती में काफी लागतें आती है जो अनावश्यक रूप से लाभ में कमी करती है। साथ ही अतिवृष्टि और अनावृष्टि तथा कीटों के प्रभाव से भी यदि फसल प्रभावित होती है तो इसका प्रभाव भी लागतों के रूप में बढ़कर फर्म अथवा किसानों पर ही पड़ता है। अत: इसमें अनिश्चितता बनी रहती है।
- हमारे देश में अधिकतर किसानों के पास जमीनों के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। जिसमें फार्मों को अनुबंध करने में अनेक समस्याएं आती हैं तथा किसानों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में समस्या आती है।
- फसल की कीमत फसल के उगाने से पहले ही तय कर दी जाती है। अत: इसमें जोखिम की संभावना अधिक होती है और अनुबंध भंग पर कानूनी कार्यवाही के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

अनुबंध खेती के लाभ

- किसानों द्वारा अनुबंध खेती के अंतर्गत फार्मों से फसल का मूल्य शुरूआत में ही तय कर लिया जाता है। अत: मूल्य संबंधित जोखिमों से मुक्ति मिल जाती है।
- परम्परागत कृषि के अंतर्गत अदृश्य बेरोजगारी छिपी रहती है। अर्थात कुछ समय काम मिलता है और कुछ समय खाली बिताना पड़ता है। जबकि अनुबंध खेती के अंतर्गत व्यावसायिक फसलों की उपज की जाती है जिसमें किसानों के पूरे परिवार को अपनी थोड़ी जमीन पर ही ऊँची दर पर पूरे समय कार्य करने का मौका मिल जाता है और व्यावसायिक फार्मों से संपर्क के कारण अधिक लाभ की संभावनाएं तलाशते रहते हैं।
- अनुबंध खेती के अंतर्गत छोटे किसान जिनको उपज बेचने की समस्या आती है उन्हें फर्मो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्राप्ति हो जाती है तथा अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है।
- छोटे किसानों को फसल चक्र के अनुसार समय-समय पर ऋण एवं अग्रिमों की आवश्यकता होती रहती है। अत: इस समस्या के निवारण के लिए अनुबंध खेती के अंतर्गत फर्म किसानों को या तो सीधे तौर पर ऋण उपलब्ध करवा देती है अथवा ऋण प्रदान करने वाली ऐजेंसी से ऋण दिलाने में सहायता करती है।
- अनुबंध खेती में लगी फर्मो को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ती है। अत: उत्पाद की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए फर्म किसानों को नई तकनीकी का प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। साथ ही उत्तम किस्म के बीज उर्वरक कीटनाशक दवाईयां एवं उपकरण भी उपलब्ध करवाती है।
- अनुबंध खेती में किसानों के साथ फर्में भी अपने कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित कर अपनी हानि को कम कर सकती हैं। साथ ही उच्च गुणवत्ता के उत्पाद भी निर्धारित कीमत पर प्राप्त कर सकती हैं।
- इस खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चाहे कितना भी छोटा किसान हो, वह भूमिहीन नहीं हो पाएगा। अकसर किसान फसल उत्पादन के बाद कर्ज के बोझ से दब जाता है और भूमि बेचकर भूमिहीन हो जाता है। लेकिन, इसमें कंपनियों के साथ निर्धारित समय के लिए अनुबंध होने के कारण ऐसा नहीं हो पाएगा।
- संविदा कृषि निजीकरण को बढ़ावा देगा और कृषि में व्यावसायिकता लायेगी। फलत: कृषि अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगी। इससे निश्चित ही खेतीबाड़ी में सुधार देखने को मिल सकेगा।

निष्कर्ष

अनुबंध खेती बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कृषि का व्यावसायीकरण है। इस व्यवसाय पर बाजार का निर्णायक प्रभाव रहता है। इसी लिए बिना पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप के अनुबंध खेती एक नये प्रकार का सामन्तवाद पैदा कर सकती है। इसलिए अनुबंध खेती को मजबूत करने हेतु आवश्यक है कि एक कानूनी ढांचा स्थापित किया जाये व अनुबंधों के क्रियान्वयन हेतु स्वायत्त निकाय बने। अनुबंधों के मूल्य गुणवत्ता संबंधी शर्तो तथा अन्य दायित्वों के मामले में पारदर्शिता भी बरती जाये।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

ई-कचरा प्रबंधन कानून : स्वच्छ पर्यावरण की कवायद

प्र. सरकार ने हाल ही में देश में ई-कचरे के पर्यावरण अनुकूल प्रभावी प्रबंधन के लिए ई-कचरा नियमों में संशोधन किया है। यह नियम ई-कचरे के सुव्यवस्थित निपटान में कितना सक्षम होगा? इसकी समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- ई-कचरा क्या है?
- ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016
- ई-कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2018
- ई-कचरे के निपटान की समस्या
- स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा
- आगे की राह

चर्चा का कारण

हाल ही में सरकार ने देश में ई-कचरे के पर्यावरण अनुकूल प्रभावी प्रबंधन के लिए ई-कचरा नियमों में संशोधन किया है।

ई-कचरा क्या है?

ई-वेस्ट आई-टी कंपनियों से निकलने वाला वह कबाड़ा है जो तकनीक तथा मनुष्य की जीवन-शैली में आने वाले बदलाव के कारण उत्पन्न हुआ है।

ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016

यह नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादनकर्त्ता, उपभोक्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहकर्त्ता, उपचारकर्त्ता आदि सभी पर लागू होगा।

- इस नियम के तहत उत्पादकों को ई-कचरा इकठ्ठा करने और आदान-प्रदान के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

ई-कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2018

ई-कचरा संग्रहण के नए निर्धारित लक्ष्य 1 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी माने जाएंगे। विभिन्न चरणों में ई-कचरे का संग्रहण लक्ष्य 2017-18 के दौरान उत्पन्न किये गए कचरे के वजन का 10 फीसदी होगा जो 2023 तक प्रतिवर्ष 10 फीसदी के हिसाब से बढ़ता जाएगा।

ई-कचरे के निपटान की समस्या

विकसित देश अपने यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक कचरे को गरीब देशों को बेच रहे हैं। इस कचरे से होने वाले नुकसान का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसमें 38 अलग प्रकार के रासायनिक तत्व शामिल होते हैं जिनसे काफी नुकसान भी हो सकता है।

स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा

इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाने के उपयोग में आने वाली सामग्रियों में ज्यादातर कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बेरिलियम और मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए घातक हैं।

आगे की राह

ई-कचरे के समुचित प्रबंधन के लिए पूरे विश्व के साथ भारत में भी पहल की जाने की नितांत आवश्यकता है। इसकी सफलता के लिए सरकार के साथ प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता तथा कर्तव्य पालन भी अपेक्षित हो। ■

लाभ के पद पर निरंतर उठ रहे विवाद

प्र. हाल ही में चर्चा में रहा लाभ के पद को समझाते हुए संविधान में इसके लिए किये गये प्रावधानों का उल्लेख करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है लाभ का पद?
- पृष्ठभूमि
- लाभ के पद एवं संवैधानिक प्रावधान
- लाभ के पद पर संसदीय सचिवों की स्थिति
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 मार्च 2018 को आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राहत देते हुए पार्टी के 20 विधायकों को आयोग्य ठहराने का आदेश खारिज कर उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी है।
- हाईकोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग ने मामले में विधायकों को मौखिक सुनवाई का मौका नही देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है।

क्या है लाभ का पद?

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अनुसार ''कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए आयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन, किसी ऐसे पद पर आसीन है जहाँ अलग से वेतन, भत्ता या बाकी फायदे मिलते हो।''
- भारतीय संविधान में या संसद द्वारा पारित किसी अन्य विधि में लाभ के पद को कही भी परिभाषित नहीं किया गया है हालांकि इसका उल्लेख है।

पृष्ठभूमि

- सन् 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नही इसके लिए उसकी नियुक्ति से संबंधित बिन्दुओं का परीक्षण किया जाना चाहिए।
- सन् 2001 में उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यी खंडपीठ ने 'झारखण्ड मुक्ति मोर्चा' के नेता शिबू सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी थी।
- 2006 में लाभ के पद का विवाद खड़ा होने की वजह से सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था।
- 2006 में ही जया बच्चन को भी अपनी संसद सदस्यता गवानी पड़ी थी।

लाभ के पद एवं संवैधानिक प्रावधान

- संविधान में इन प्रावधानों को शामिल करने का उद्देश्य नीति निर्माण के इन निकायों (संसद व विधानमण्डल) को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखना था।
- उल्लेखनीय है कि संविधान संसद/ विधायिका को लाभ के किसी भी पद को धारण करने वाले को छूट प्रदान करने हेतु कानून पारित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 भी किसी सांसद या विधायक को सरकारी पद को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद से उन्मुक्ति दी गई है।

संसदीय सचिवों की स्थिति

- संसदीय सचिव विधानमंडल का एक सदस्य होता है, जो अपने कार्यों द्वारा अपने से वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करता है।
- 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट मंत्री के पद और स्थिति के समान संसदीय सचिवों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का उल्लंघन है।

निष्कर्ष

समय-समय पर लाभ के पद के तहत कई संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। जिससे यह मालूम पड़ता है कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने या पार्टी के लाभ के लिए संविधान में बनाये गये नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। बेहतर है कि सभी राजनीतिक दल संविधान में उल्लिखित नियमों का पालन करें, जिससे कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास बना रहे। ■

जल संकट की वर्तमान स्थिति

प्र. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर में उत्पन्न जल संकट को लेकर चिंता जाहिर की है। यह चिंता न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य में मानव के सामने आने वाली चुनौतियों का एक दर्पण है। इससे आप कितना सहमत हैं? उल्लेख करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- विश्व जल दिवस का इतिहास।
- वर्तमान परिदृश्य।
- जल संकट और भारत।
- जल संकट से उत्पन्न समस्यायें।
- जल संकट का कारण।
- जल संकट का उपाय।
- निष्कर्ष।

चर्चा का कारण

- यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया तथा विश्व में जल की उपलब्धता को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में दुनिया के कम से कम 200 शहर पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे हैं।
- उनके अनुसार बेंगलुरू समेत 10 बड़े शहर तेजी से 'डे जीरो' की ओर बढ़ रहे हैं। बेंगलुरू की हालत जल्द ही दक्षिण अफ्रीकी शहर केपटाऊन जैसी हो सकती है।

विश्व जल दिवस का इतिहास

- सन् 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के द्वारा 22 मार्च को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय किया गया।
- इसे पहली बार वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अनुसूची 21 में अधिकारिक रूप से जोड़ा गया था।
- विश्व जल दिवस 2018 का थीम (विषय) "जल के लिए प्रकृति के आधार पर समाधान है।"

वर्तमान परिदृश्य

- संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार 6 अरब की आबादी वाली दुनिया में हर छठा व्यक्ति नियमित सुरक्षित पेयजलापूर्ति से वंचित है।
- दुनिया के 2.4 अरब लोग पर्याप्त साफ-सफाई की दुनिया से वंचित है।
- सन् 2032 तक दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी पानी की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में रहने को विवश होगी।
- पिछले शती में विश्व जनसंख्या तीन गुनी बढ़ चुकी है और इसी अवधि में पानी की खपत 6 गुनी बढ़ चुकी है। अनुमानतः वर्ष 2050 तक संसार का हर चौथा आदमी पानी की समस्या से ग्रस्त होगा।

जल संकट और भारत

- आज पूरे भारत में पानी के कमी की समस्या पिछले 30-40 साल की तुलना में तीन गुणी हो गयी है।
- कई जगहों पर भूजल का इस कदर दोहन किया गया कि वहां पानी के स्थान पर आर्सेनिक व नमक बाहर आने लगे। पंजाब के कई इलाकों में इस तरह की स्थिति देखी गई।
- भारत का एक-तिहाई हिस्सा गंगा का बेसिन है। इसे दुनिया का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है लेकिन गंगा व उसकी लगभग 50 सहायक नदियों में पानी का प्रवाह कम हो गया है।

जल संकट से उत्पन्न समस्यायें

- स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में, प्राकृतिक आपदाएं, नगरीय क्षेत्र आदि।

भारत में जल संकट के कारण

- सूखा, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि कार्यों में अव्यवहारिक सिंचाई, घरेलू उपयोग, जल प्रबंधन का अभाव, नदी जल विवाद, पेयजल एवं जल संरक्षण को लेकर केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद आदि प्रमुख कारण है।

जल संकट से निपटने के उपाय

- कृषि को वैज्ञानिक और व्यावहारिक बनाया जाये।
- जल संचय हेतु गांवों एवं शहरों में ठोस योजना बनायी जानी चाहिए। वर्षा जल संचयन प्रणाली अनिवार्य कर दी जानी चाहिए तथा इसके लिए सजा का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।
- नदियों की सफाई योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और नदियों को गंदा करने वाले उद्योगों के विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।
- व्यक्तिगत स्तर पर भी जल बर्बादी को रोका जाये।
- जल संचयन में तकनीकी का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाये।

निष्कर्ष

जल संकट पर यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी रिपोर्ट पूरे विश्व को सचेत होने के साथ ही पानी के बचाव के लिए एक आईना दिखा रही है जिससे कि पूरा विश्व मिलकर जल संकट के समाधान के लिए कार्य कर सके। मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए पानी को बचाना अति आवश्यक है। ■

भारत–अफ्रीका संबंध का नया परिदृश्य

प्र. भारत और अफ्रीका के संबंधों की चर्चा करते हुए बताइए कि वर्तमान में अफ्रीका भारतीय व्यापार के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है?

उत्तर:

- चर्चा में क्यो?
- पृष्ठभूमि।
- क्या है अफ्रीकी संघ?
- अंतर अफ्रीकी मुक्त व्यापार प्रणाली से भारत को लाभ।
- भारत के लिए क्यों जरूरी है अफ्रीका?
- निष्कर्ष।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा दने के लिए 44 अफ्रीकी देशों ने किगाली खांडा में अफ्रीकी कॉन्टिनेटल फ्री ट्रेड एरिया (एएफसीएफटीए) समझौते पर हस्ताक्षर किया। अफ्रीकी संघ के 10 सदस्य देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

पृष्ठभूमि

भारत और अफ्रीका के संबंध दुनिया में किन्हीं दो समुद्रपारीय भू-भागों के बीच सबसे पुराने हैं।

- अफ्रीका से पहला मानव अरब खाड़ी को पार करते हुए दक्षिण एशिया में सबसे पहले आया था। भारत और अफ्रीका के बीच सिंधु घाटी सभ्यता के समय से व्यापारिक संबंध हैं।
- भारत संपर्क का असर इस बात से भी समझा जा सकता है कि अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में बोली जाने वाली स्वाहिली भाषा में आज भी हिंदी-उर्दू के कई शब्द शामिल हैं।

क्या है अफ्रीकी संघ?

अफ्रीकी संघ 54 अफ्रीकी देशों का संघ है इसका लक्ष्य अफ्रीकी महाद्वीप पर राजनीति और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

अंतर अफ्रीकी मुक्त व्यापार से भारत को लाभ

मुक्त व्यापार समझौते के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होती है और इस कमी को भारत अपने निवेश द्वारा पूरा कर सकता है। भारत अफ्रीका में 150 से अधिक कंपनियाँ विस्तारित कर रहा है अत: यह समझौता इन कंपनियों के व्यापार को गति प्रदान करेगा।

भारत के लिए क्यों जरूरी है अफ्रीका?

अफ्रीका में विश्व की एक तिहाई आबादी रहती है जिसमें अधिकांशत: युवा हैं। अफ्रीकी महाद्वीप खनिज संपदा, भूमि तथा मानवशक्ति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। भारत का डायस्पोरा काफी मात्रा में अफ्रीका में फैला हुआ है। इससे भारत को काफी विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है।

अफ्रीका महत्वपूर्ण संसाधनों से संपन्न है। उन संसाधनों का निवेश करके अपना विकास कर सकता है। अफ्रीका में भारत का प्रतिद्वंदी चीन है जो भारत से काफी आगे है अत: वर्तमान में चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है जिसका भारत अफ्रीका में निवेश कर लाभ ले सकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए भारत को अफ्रीका के साथ व्यापार को बढ़ाना होगा और हाल ही में अफ्रीका में हुआ अंतर अफ्रीकी मुक्त व्यापार समझौता इसमें काफी सहयोगी रहेगा। ■

एससी/एसटी एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का नया नजरिया

प्र. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अधिनियम के दुरुपयोग पर निर्णय दिया है। इस अधिनियम पर शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- एसटी/एससी एक्ट कया है?
- पृष्ठभूमि।
- वर्तमान परिदृश्य।
- निर्णय के पक्ष में तर्क।
- निर्णय के विपक्ष में तर्क।
- आगे की राह।

चर्चा का कारण

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एससी/एसटी एक्ट के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इसके तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी न किए जाने का आदेश दिया है।
- शीर्ष अदालत ने कहा कि इस कानून के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी की बजाय पुलिस को 7 दिन के अंदर जांच कर फिर आगे एक्शन लेना चाहिए।
- इस अधिनियम के तहत दर्ज कराए गए मामलों में डीएसपी की ओर से शुरूआती जांच की जाए।

एससी/एसटी एक्ट क्या है?

- यह अधिनियम 11, सितंबर, 1989 को अधिनियमित किया गया था जबकि 30 जनवरी, 1990 से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ है।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किए गए अपराध गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है।

पृष्ठभूमि

- एसटी/एससी के खिलाफ बढ़ते अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा 1955 में अस्पृश्यता (अपराध निवारण) अधिनियम लाया गया।
- 1976 में इस अधिनियम का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में पुनर्गठन किया गया। उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत, पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 बनाया गया था।
- केंद्र सरकार ने दिसम्बर, 2015 में एससी/एसटी अधिनियम-1989 में संशोधन किया था।

वर्तमान परिदृश्य

- अपराध के बारे में क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखने से पता चलता है कि एसटी/एससी एक्ट में ज्यादातर मामले झूठे पाये गये।
- 2015 में एसटी/एससी कानून के तहत आदलत ने कुल 15638 मुकदमें निपटाए, जिसमें से 11024 केसों में अभियुक्त बरी हो गये।

निर्णय के विपक्ष में तर्क

- 2016 में देशभर में दलितों के खिलाफ भेदभाव और अपमान से जुड़े 40,774 मामले दर्ज किए गये। जिसमें 2015 के मुकाबले 2016 में 4.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई।
- इस निर्णय से एसटी/एससी अपराध में और वृद्धि होने की संभावना है।

निर्णय के पक्ष में तर्क

- अप्रैल, 2010 में दिल्ली की एक अदालत ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से कार्यालयों में जाति-पाति से उपर उठकर काम करने में सहुलियत होगी।

आगे की राह

निर्णय के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह मत कि देश के किसी भी कानून का उद्देश्य व्यक्ति मात्र के हितों और अधिकारों की रक्षा करना होता है। ऐसे में यदि एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के आधार पर दर्ज शिकायतों एवं आरोपों में से ज्यादातर बेबुनियाद या पक्षपाती पाये जाते हैं। इसके लिए एक उचित संस्था या आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो भारी संख्या में क्लोजर रिपोर्ट और आरोपियों के बरी होने के कारण का एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करे। ■

रोहिंग्या समस्या पर वैश्विक पहल

प्रः हाल ही में सिडनी में संपन्न ऑस्ट्रेलिया-आसियान सम्मेलन में आंग-सान सू की ने आसियान व अन्य देशों से रोहिंग्या समस्या से निपटने के लिए मानवता के आधार पर समर्थन की मांग की है। इस संदर्भ में भारत की भूमिका की समीक्षा करते हुए इसके समाधान के उपाय सुझाएं।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।
- वर्तमान परिदृश्य।
- रोहिंग्या समस्या और भारत की भूमिका।
- समाधान।
- निष्कर्ष।

चर्चा का कारण

आस्ट्रेलिया के सिडनी में संपन्न आस्ट्रेलिया-आसियान सम्मेलन में आंग सान सू की ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाते हुए मदद की अपील की।

- आसियान के अध्यक्ष एवं सिंगापुर के प्रधानमंत्री 'ली सीन लूंग' ने कहा कि म्यांमार के पड़ोसी मौजूदा स्थिति के लिए चिंतित हैं।
- मलेशिया के नेता 'नजीव रज्जाक' ने म्यांमार की 'सू की' पर टिप्पड़ी करते हुए कहा कि रोहिंग्या संकट से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

पृष्ठभूमि

- रोहिंग्या मुसलमान बर्मा (अब म्यांमार) के अराकान प्रांत में 1400 ई० में आ बसे थे।
- 1962 में रोहिंग्या ने अपने लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की 1962 में तब जनरल नेविन ने तख्ता पलट किया था।
- 25 अगस्त, 2017 के बाद शुरू हुई हिंसा के ताजा दौर में भी लाखों रोहिंग्या लोगों को घर-बार छोड़ना पड़ा है।

वर्तमान परिदृश्य

- संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी संस्थाओं ने एक संयुक्त रिस्पांस योजना जारी किया है। इसमें करीब 9 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 95.1 करोड़ डॉलर की राशि की अपील की गई है।
- यूएन एजेंसियों ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 95.1 करोड़ डॉलर की राशि की अपील की गई है।
- रोहिंग्या शरणार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका अब भारत के साथ काम करना चाहता है।

रोहिंग्या समस्या और भारत की भूमिका

- भारत की शरणार्थी नीतियां तब चर्चा में आई जब सरकार ने 40,000 रोहिंग्या को निर्वासित करने का निर्णय लिया।
- सरकार द्वारा जारी एक हालिया शपथ-पत्र के अनुसार रोहिंग्या आईएसआई और अन्य आतंकी संगठनों का हिस्सा नजर आते हैं।
- इस मुद्दे के मानवीय पहलू का ध्यान रखना और उस पर आवाज उठाना सही है लेकिन इस समस्या का समाधान इस तरह किया जाना चाहिए जो देश के सुरक्षा हितों के साथ सामंजस्यपूर्ण हो।

समाधान

- एक प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में, भारत को बांग्लादेश और म्यांमार के साथ रोहिंग्या समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।
- शरणार्थी परिस्थिति के घरेलू समाधान ढूंढने के प्रयास के अलावा, भारत को बांग्लादेश को वित्तीय और मानवीय सहायता प्रदान करना चाहिए।
- वैश्विक समुदाय को म्यांमार के राष्ट्र-निर्माण प्रयास में मदद करनी चाहिए। साथ ही म्यांमार को अपनी नस्ल-आधारित बर्मी बुनियाद को अलग करना चाहिए। ■

अनुबंध कृषि की आवश्यकता क्यों?

प्र. हाल ही में अनुबंध कृषि पर एक ड्राफ्ट मॉडल एक्ट तैयार किया गया है। इस संदर्भ में भारत में अनुबंध कृषि के लाभों और हानियों की चर्चा कीजिए।

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- अनुबंध कृषि ड्राफ्ट मॉडल एक्ट के सुझाव।
- क्या है अनुबंध कृषि?
- अनुबंध कृषि से हानियाँ।
- अनुबंध कृषि के लाभ।
- निष्कर्ष।

चर्चा का कारण

हाल ही में कृषि मंत्रालय ने अनुबंध कृषि एक्ट 2018, का ड्राफ्ट मॉडल जारी किया है। इस ड्राफ्ट मॉडल एक्ट के तहत अनुबंध खेती के लिए एक विनियामक और नीतिगत ढांचा तैयार करने की व्यवस्था की गई है।

क्या है अनुबंध कृषि

अनुबंध खेती किसानों एवं कृषि विपणन कंपनियों के बीच पूर्व निर्धारित दरों पर कृषि उपजों के लेन-देन का समझौता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती में उत्पादक और खरीदार के बीच कीमत पहले ही तय हो जाती है।

अनुबंध कृषि ड्राफ्ट मॉडल एक्ट के सुझाव

इस ड्राफ्ट मॉडल एक्ट के तहत कृषि अनुबंध को कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम से पूरी तरह अलग रखा गया है।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए अनुबंध के समय आस-पास की मंडियों के मॉडल भाव से 10 फीसदी अधिक भाव पर अनुबंध होगा।

नए ड्राफ्ट मॉडल में उत्पादकों और खरीदारों के मध्य किसी भी विवाद के लिए एपीएमसी के स्थान पर ब्लॉक जिला या क्षेत्रीय स्तर पर विवाद निवारण तंत्र की स्थापना की जाएगी।

स्टाकहोल्डिंग सीमा में छूट भी प्रदान करने का प्रावधान तथा एक अनुबंध खेती प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

अनुबंध खेती से हानियाँ

अनुबंध खेती छोटे और सीमांत किसानों के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि कंपनियाँ फसल की एक विशेष मात्रा उपलब्ध कराने की मांग कर सकती हैं जिसका उत्पादन छोटे किसान कर ही नहीं पाएंगे अत: वे इससे वंचित रह जाएंगे।

छोट मझौले किसान कंपनियों के जाल में फंस सकते हैं।

किसानों को एक ही फसल पैदा करने के लिए कंपनियाँ कहेंगी इससे मोनोकल्चर की समस्या पैदा होगी।

अनुबंध कृषि के लाभ

किसानों द्वारा अनुबंध खेती के अंतर्गत फार्मों से फसल का मूल्य शुरूआत में ही तय कर लिया जाता है। अत: मूल्य संबंधित जोखिमों से मुक्ति मिल जाती है।

अनुबंध खेती के अंतर्गत छोटे किसान जिनको उपज बेचने की समस्या आती है उन्हें फर्मों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्राप्ति हो जाती है तथा संविदा खेती निजीकरण को बढ़ावा देगा जिससे कृषि में प्रतिस्पर्धा आएगी इससे निश्चित ही खेती -बाड़ी में सुधार देखने को मिलेगा।

निष्कर्ष:

निश्चय ही अनुबंध कृषि एक विकल्प हो सकता है लेकिन सवाल है कि सरकार इसका कितना फायदा उठा पाती है। अत: अनुबंध कृषि को मजबूत करने हेतु आवश्यक है कि एक कानूनी ढांचा स्थापित किया जाए व अनुबंध ों के क्रियान्वयन हेतु स्वायत्त निकाए बने।

■

सात महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय

1. ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन रिकोर्ड में बढ़ोत्तरी आईएई

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) का उत्सर्जन 32.5 गीगाटन की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। यह ऊर्जा की ऊंची मांग और ऊर्जा दक्षता में सुधार की धीमी गति के कारण था।

प्रमुख तथ्य

- आईईए के प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक वैश्विक ऊर्जा की मांग 2017 में 2.1 प्रतिशत बढ़कर 14,050 मिलियन टन तेल के बराबर हुई है जो पिछले साल की तुलना में दो गुना अधिक है।
- आईईए की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक ऊर्जा मांग के 70 प्रतिशत से अधिक विकास गैर-नवीकरणीय स्रोतों जैसे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला द्वारा मिले थे, जबकि लगभग सभी बाकी हिस्सों के लिए अक्षय ऊर्जा का हिस्सा था।
- वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2017 में 1.4 प्रतिशत बढ़कर 32.5 गीगाटन तक पहुंच गया, जो कि सर्वोच्च रिकॉर्ड है।
- वर्ष 2017 में वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए मौजूदा प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।

एशिया में कार्बन उत्सर्जन

आईईए रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि के मामलों में दो-तिहाई एशियाई देशों का योगदान है। अकेले चीन का उत्सर्जन 1.7 प्रतिशत बढ़कर 9.1 गिगाटन तक पहुंच गया है। नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के अधिक उपयोग के चलते यह वृद्धि दर्ज की गई है। उर्जा उत्पादन के अन्य स्रोतों का चीन द्वारा अधिक उपयोग किये जाने से कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है जिसके चलते कुल कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य तेल की आपूर्ति में प्रमुख बाधाओं के सामूहिक प्रतिक्रिया का समन्वय कर मुख्य रूप से अपने 29 सदस्य देशों को विश्वसनीय, न्यायोचित और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। आईईए के चार प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय जागरुकता और विश्व में ऊर्जा के प्रति वचनबद्धता हैं।

■

2. राबर्टस लांगलैंडस ने 2018 अबेल पुरस्कार जीता

गणित के क्षेत्र में असामान्य उपलब्धि हासिल करने के लिए दिये जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में एक अबेल पुरस्कार कनाडा के महान गणितज्ञ रॉबर्ट लांगलैंड्स को मिला है। 2018 का यह अबेल पुरस्कार गणितज्ञ रॉबर्ट लांगलैंड्स को रिप्रेसेंटेशन थ्योरी से नंबर थ्योरी को जोड़ने के अपने दूरदर्शी प्रोजेक्ट के लिए मिला है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नार्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड लेटर्स ने कहा, लांगलैंड्स की अंतरदृष्टि इतनी विलक्षण और समृद्ध थी तथा उन्होंने इन गणितीय क्षेत्रों के बीच संबंध की जो प्रक्रिया सुझाई उसने लांगलैंड्स प्रोग्राम नामक परियोजना को जन्म दिया' बता दे कि नॉवे के किंग हेराल्ड वी द्वारा 81वर्षीय गणितज्ञ को 22 मई को ओस्लो में एक पुरस्कार समारोह में 60 लाख नॉर्वेजिनयाई मुद्रा क्रोनर (7,76,000 डॉलर) का पुरस्कार दिया जाएगा।

कौन हैं रॉबर्ट लांगलैंड्स

लांगलैंड्स का जन्म वर्ष 1936 में कनाडा के न्यू वेस्टमिंस्टर में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से 1957 में स्नातक और 1958 में एमएससी की। इसके बाद उन्होंने 1960 में अमरीका की येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी में संकाय पदों पर रहे और वर्तमान में वह प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में प्रोफेसर हैं।

कब से दिया जा रहा है अबेल पुरस्कार

गौरतलब है कि अबेल पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा एक या एक से अधिक गणितज्ञों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार नॉर्वे के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ 'नील्स हेनरिक अबेल' को समर्पित है और इसकी शुरूआत 2002 में की गई थी। अबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति 'जीन पियरे सेरें थे, जिन्हें गणित के कई हिस्सों जैसे टोपोलॉजी, बीजीय ज्यामिति और संख्या सिद्धांत को आधुनिक रूप देने के लिए 2003 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2016 में गणित का अबेल पुरस्कार 'सर एंड्रयू विल्स' को और 2017 में यवेस मेयर को दिया गया था।

■

3. विश्व मौसम विज्ञान दिवसः 23 मार्च 2018

- 23 मार्च 2018 को संपूर्ण विश्व में 'मौसम विज्ञान दिवस' मनाया गया।
- वर्ष 2018 के लिए इस दिवस की थीम ''वेदर-रेडी, क्लाइमेट-स्मार्ट'' है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 23 मार्च को 'विश्व मौसम विज्ञान दिवस' मनाया जाता हैं। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना है।

विश्व मौसम संगठन की स्थापना

वर्ष 1950 में विश्व मौसम संगठन (WMO) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई के रूप में की गई थी। जिनेवा में इसका मुख्यालय खोला गया था। मानव के दुःख-दर्द को कम करना और संपोषणीय विकास को बढ़ाना देना ही इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। पहले के मुकाबले आज के समय में मौसम विज्ञान का इस्तेमाल बाढ़, भूकंप, सुनामी और प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता हैं।

विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर विश्व के विभिन्न हिस्सों में सभाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन कार्यक्रमों में मौसम विज्ञानी विचार एवं अनुभव बांटते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि मौसम द्वारा उत्पन्न हो रही समस्याओं से किस प्रकार बचा जा सकता हैं और विज्ञान की सभी नई तकनीक को भारतीयों के साथ-साथ विश्व भर में मानवजाति के कल्याण के लिए कैसे उपयोग किया जाए।

विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य

इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मानव के सभी दुःख-दर्द को कम करके और उनको होने वाली मौसम संबंधी सभी मुसीबतों से निजात दिलाना हैं। मौसम विज्ञान अध्ययन द्वारा दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन की परिघटना को बेहतर समझने के लिए अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में उपग्रह लगाए जाते हैं। इससे भारतीय वैज्ञानिक मौसम और जलविज्ञान का अध्ययन करते रहते है। ■

4. अमेरिका ने चीन से आयात पर 60 बिलियन डॉलर का टैरिफ लगाया

अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों में जारी तनातनी से ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध)की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जहां एक तरफ 22 मार्च 2018 को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात पर 60 अरब डॉलर अर्थात 3910 अरब रुपये के टैरिफ की घोषणा की है तो वहीं इस कदम के विरोध में चीन ने भी उन अमेरिकी उत्पादों की लिस्ट जारी की है जिस पर वह भारी-भरकम आयात शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। इस लिस्ट में पोर्क, सेब और स्टील पाइप शामिल हैं। चीन ने कहा है कि अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए टैरिफ के प्रतिक्रियास्वरूप उसने यह कदम उठाया है।

ट्रेड वॉर क्या है?

ट्रेड वॉर एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश एक-दूसरे के व्यापार को आमतौर पर टैरिफ या कोटा प्रतिबंध लगाकर नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रेड वॉर मुक्त व्यापार (फ्री ट्रेड) के बड़े पैमाने पर होने वाले लाभों के संबंध में हो रही गलतफहमी का भी परिणाम है।

भारत पर भी असर

डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में पहले ही भारत और चीन जैसे देशों को सख्त चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने पहले कहा था कि अगर अमेरिकी सामानों पर टैक्स कम नहीं किया गया तो वे भी उतना ही टैक्स लगाएंगे। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों से आयातित सामानों पर बहुत कम टैक्स लगाता है, लेकिन दूसरे देश हमारे समानों पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं। ■

5. नई दिल्ली में आयोजित भारत-मिस्र संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक

मिस्र के विदेश मंत्री समेह हसन शौकरी ने हाल ही में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के बारे में प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की।

मिस्र के मंत्री ने 7वें भारत-मिस्र की संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लिया, जो कि पहले, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अगुवाई में, फिर प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों के पूरे स्पेक्ट्रम पर चर्चा की और भारत तथा मिस्र के बीच द्विपक्षीय सहयोग को कैसे गहरा और विविधता प्रदान करने, के बारे में विचार-विमर्श किया।" उन्होंने कहा, "परस्पर हित के क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई।"

पीएमओ ने कहा, "बुनियादी ढांचे, व्यापार एवं निवेश और लोगों के संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की गहराई से चर्चा हुई।" जैसा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर घनिष्ट राजनीतिक समझ और सहयोग है, सुषमा स्वराज के मिस्र के समकक्ष ने सीमा और कश्मीर पर आतंकवाद से संबंधित मुद्दों के बारे में भी बात की।

कश्मीर मुद्दे पर बोले शौकरी

शांतिपूर्ण प्रस्तावों पर महत्व व्यक्त करते हुए शौकरी ने कहा: "हम कूटनीतिक साधनों और वार्ता के माध्यम से सभी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं और किसी भी प्रकार के सैन्य हस्तक्षेप या संघर्ष के खिलाफ समर्थन करते हैं। इस क्षेत्र में सभी लोगों के बारे में बातचीत और वार्ताएं होनी चाहिए, जिसमें भारत का कश्मीर मुद्दे के वर्तमान दृष्टिकोण का जिक्र है।" चीन के मोर्चे पर बात करते हुए, शौकरी ने कहा'' इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे विभिन्न संगठनों से कानूनी परिप्रेक्ष्य से संबोधित करना होगा।'' ■

6. यूरोप, अमेरिका में 100 से अधिक रूसी राजनयिक निष्कासित

- अमेरिका, यूरोपीय देश, कनाडा और यूक्रेन ने 100 से अधिक रूसी राजनयिकों को अपने-अपने देशों से बाहर करने का फैसला किया है। यह निर्णय इंग्लैड में रह रहे पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रीपल को कथित रूप से नर्व एजेंट (जहर) देकर मारने की जघन्य कोशिश के आरोप में कड़ा रूख अपनाते हुए लिया गया।
- अमेरिका ने सिएटल स्थित रूस के वाणिज्य दूतावास को भी बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सबसे अधिक 60 रूसी राजनयिकों को निकालने का आदेश दिया जो वर्तमान समय में रूस के खिलाफ सबसे बड़ा कदम है।

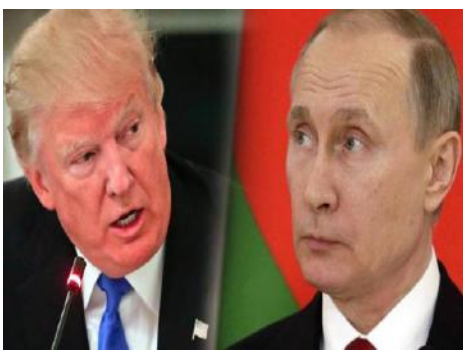

- डोनाल्ड ट्रम्प ने जिन 60 रूसी राजनयिकों को देश से निकालने का आदेश दिया है उनमें से 48 वाशिंगटन स्थित रूसी दूतावास में रूस के लिए कथित रूप से खुफिया एजेंट की तरह काम रहे थे जबकि 12 राजनयिक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में पदस्थ हैं।
- अमेरिका और यूरोप के इस कदम से विश्व में एक बार फिर शीत युद्ध के आसार बढ़ने लगे हैं। रूस इस बार तटस्थ होता दिख रहा है जबकि यूरोप इस मामले में एकजुटता दिखा रहा है।

सर्गेई स्क्रीपल मामला क्या है?

चार मार्च 2018 को पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रीपल और उसकी बेटी यूलिया को ब्रिटेन के सेल्सबरी शहर में नर्व एजेंट देकर जान से मारने की कोशिश की गई थी। स्क्रीपल पर रूसी गोपनीय जानकारियां ब्रिटिश की खुफिया संस्था MI6 को बेचने का आरोप लगाकर रूस ने उन्हें 13 साल के कारावास की सजा दी थी।

वर्ष 2010 में ब्रिटेन और रूस में हुए एक समझौते के बाद स्क्रीपल अपने परिवार के साथ ब्रिटेन आ गए और सेल्सबरी में रहने लगे। पूर्व रूसी जासूस स्क्रीपल उनकी बेटी ब्रिटेन की नागरिकता ले चुके थे लेकिन कथित रूप से रूस द्वारा उन पर नर्व एजेंट से केमिकल हमला करके उन्हें मारने की कोशिश की गई।

शीत युद्ध के बारे में जानकारी

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और रूस के राजनीतिक और आर्थिक हितों का टकराव शुरू हो गया। अपने-अपने महत्व को साबित करने के लिए अमेरिका और रूस दो धुरियों के रूप में काम करने लगे तथा विश्व को दो हिस्सों में बांटने की होड़ लग गई। वर्ष 1990 तक दुनिया के ज्यादातर देश इन्हीं दोनों महाशक्तियों के बीच बंटे रहे और उनके बीच आर्थिक-राजनैतिक घात-प्रतिघात होता रहा। सोवियत संघ के विखंडन के बाद यह शीत युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया।

ब्रिटेन में हुए रूसी जासूस को मारने की कोशिश की घटना के बाद से जिस प्रकार अमेरिका और यूरोप रूस के राजनयिकों को निष्कासित कर रहे हैं उसके चलते एक बार फिर विश्व में शीत युद्ध के आसार बनते जा रहे हैं। जबकि रूस ने सर्गेई स्क्रीपल पर हुए हमले में अपनी भूमिका से इंकार किया है। ■

7. क्रेमपुरी में दुनिया की सबसे लंबी रेतीले गुफा की खोज

मेघालय के पूर्व खासी पहाड़ी जिले के मौसिन्राम इलाके में लातसोम गांव के पास, क्रेमपुरी नाम की दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा का पता चला है। गुफा की लंबाई 24,583 मीटर (24.5 किमी) है और यह जटिल पहाड़ियों के नीचे छिपी अपनी जटिल गुफा प्रणालियों के लिए जाना जाता है। यह 2016 में खोजा गया था लेकिन मेघालय एडवेंचर्स एसोसिएशन (एमएए) द्वारा मापने और इसे मैप करने के लिए अभियान के दौरान इसकी वास्तविक लंबाई पाया गया था।

क्रेम पुरी

क्रेम पुरी भूमिगत गुफा 18,200 मीटर (18.2 किमी) को मापने वाला क्वार्टजेट बलुआ पत्थर गुफा, वेनेजुएला, ईदो जूलिया में विश्व रिकार्ड धारक क्यूवा डेल समन से 6,000 मीटर से अधिक लंबा है। यह बलुआ पत्थर की गुफा चूना पत्थर के बाद सामान्य श्रेणी में भारत की दूसरी सबसे लंबी गुफा भी है, मेघालय में जैनतिया हिल्स में 31 किमी से अधिक की दूरी पर मापने वाले क्राम लीट प्रेह-उमीम-लैबिट सिस्टम क्रेम पुरी गुफा प्रणाली में डायनासोर के जीवाश्म भी हैं, विशेष रूप से मोजसॉरस, जो 66-76 मिलियन वर्ष पूर्व रहते एक विशाल सरीसृप है।

पृष्ठभूमि

मेघालय में 1,650 से अधिक गुफाओं और गुफा स्थानों की ठिकाने हैं, जिनमें से 1,000 से अधिक का पता लगाया गया है या आंशिक रूप से पता लगाया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्य में सर्वेक्षण की गुफाओं की 491 कि.मी. की दूरी है और कई खोजी हुई हैं। खासी भाषा में क्रेम का अर्थ है गुफा। मौसीन्रम को पृथ्वी पर रिकार्ड-तोड़ने वाले वर्षा के लिए सबसे ज्यादा जगह का सबसे बड़ा स्थान कहा जाता है। ■

राष्ट्रीय

1. इसरो और भेल के मध्य समझौता

बिजली उपकरण बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल ने विभिन्न क्षमता की लिथियम ऑयन बैटरी के विनिर्माण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किया है। समझौते के तहत कंपनी इस प्रौद्योगिकी के जरिये अंतरिक्ष स्तर के विभिन्न क्षमता के सेल (बैटरी) का विनिर्माण करेगी। यह कंपनी के कारोबार का दायरा बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। लिथियम ऑयन बैटरी विनिर्माण से जुड़ी प्रौद्योगिकी का विकास इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र में किया है।

समझौते पर के निर्देशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान, एवं विकास) तथा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र के निदेशक एस. सोमनाथ ने हस्ताक्षर किये। इस मौके पर अंतरिक्ष विभाग के सचिव तथा इसरो के चेयनमैन डा० के सिवन तथा भेल के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक अतुल सोबती समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

ली-ऑयन बैटरी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से भेल ऐसी बैटरियों के विनिर्माण में सक्षम हो जाएगा जिससे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आवश्यकता पूरी की जा सकेगी। राष्ट्रीय स्तर पर अन्य कार्यों के लिए भी ली-ऑयन बैटरियों के विनिर्माण के लिए यह तकनीक अपनाई जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि इसरो की ओर से ली-ऑयन बैटरियों का उपयोग उनके अत्यधिक ऊर्जा घनत्व, विश्वसनीयता और लंबी अवधि तक चलने के गुणों के कारण उपग्रह और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण के लिए ऊर्जा स्रोतों के रूप में किया जाता है। इसरो के तिरूवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र ने अंतरिक्ष संबंधी कार्यों में इस्तेमाल लेने वाली ली-ऑयन बैटरियों का निर्माण करने की प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इनका इस्तेमाल मौजूदा समय में ऊर्जा स्रोत के रूप में विभिन्न उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ■

2. जे.एस.राजपूत का यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए नामांकन

केन्द्र सरकार ने 25 मार्च, 2018 को एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जे. एस. राजपूत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर नामित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2017 के दौरान यूनेस्को की आम सभा में भाग लेने के दौरान यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत की सदस्यता के लिये अन्य देशों के मंत्रियों से भेंट कर उनका सहयोग मांगा था।

यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 58 सीटें होती है और कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कार्यकारी बोर्ड यूनेस्को का एक संवैधानिक अंग है जिसे आम सभा के द्वारा चुना जाता है। बोर्ड संस्था के कार्यकलाप और इससे जुड़े बजट अनुमानों की समीक्षा करता है। मूल रूप से कार्यकारी बोर्ड यूनेस्को की सभी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिये उत्तरदायी सबसे प्रधान संस्था है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) 'संयुक्त राष्ट्र संघ' का एक घटक है, जिसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के

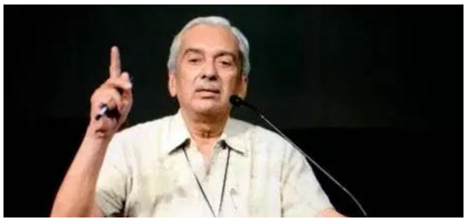

माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा समझबूझ को बढ़ावा देना है।

यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य अभिकरणों में मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए शांति को संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक समझा जाता है।

इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है, यूनेस्को के परवर्ती कार्यक्रमों तथा बजटों को अनुमोदित करने हेतु वर्ष में दो बार यूनेस्को की आम बैठक आयोजित की जाती है।

जे.एस.राजपूतः

- जे.एस.राजपूत एक सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। जो वर्ष 1974 में एनसीईआरटी में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे और वर्ष 1999 से वर्ष 2004 तक इसके निदेशक भी रहे थे। उन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। वे स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में अपने योगदान के लिये जाने जाते है। जे.एस.राजपूत के द्वारा एनसीईआरटी के निदेशक के तौर पर पाठ्यक्रम में सत्य, शांति, अहिंसा, सदाचार (धर्म) एवं प्रेम पांच मूल्यों को शामिल किया गया है। उन्होंने हाल ही में अपनी पुस्तक 'भारत में मुस्लिमों की शिक्षा' पूरी की है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से धर्मों में समरसता का विकास करना है। इस पुस्तक का अनावरण 15 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उल्लेखनीय है कि 2017-21 के दौरान यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के चयन के लिये मतदान 8 नवंबर 2017 को हुआ था जिसमें 30 अक्टूबर से 14 नवंबर 2017 के बीच आयोजित आम सभा के 39वें सत्र के चतुर्थ समूह में भारत ने 162 मत प्राप्त किये थे। बोर्ड की अगली बैठक पेरिस स्थित बोर्ड मुख्यालय में 4-17 अप्रैल 2018 को होगी।

■

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च 2018 को केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित आयुष्मान् भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एबी-एनएचपीएम) लॉन्च करने की स्वीकृति प्रदान की। आयुष्मान् मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का बीमा कवर दिया जायेगा। प्रस्तावित योजना के लक्षित लाभार्थी 10 करोड़ से अधिक परिवार होंगे। यह परिवार एसपीसीसी डाटा बेस पर आधारित गरीब और कमजोर आबादी के होंगे। आयुष्मान् भारत मिशन में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) तथा वरिष्ठि नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) समाहित होंगी।

आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की मुख्य विशेषताएं

- इस मिशन के तहत 10 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जायेगा।
- इस योजना का लाभ पूरे देश में मिलेगा और योजना के अंतर्गत कवर किये गये लाभार्थी को पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी/निजी अस्पताल से कैशलेस उपचार लेने की अनुमति होगी।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) से जुड़े अस्पलतालों को भी बिस्तर दाखिला अनुपात मानक के आधार पर पैनल में शामिल किया जा सकता है। निजी अस्पताल परिभाषित मानक के आधार पर ऑन लाइन तरीके से पैनल में शामिल किए जाएंगे। लागत को नियंत्रित करने के लिए पैकेज दर (सरकार द्वारा अग्रिम रूप में परिभाषित) के आधार पर इलाज के लिए भुगतान किया जाएगा तथा पैकेज दर में इलाज से संबंधित सभी लागत शामिल होगी।
- लाभार्थियों के लिए यह कैशलेस, दस्तावेज रहित लेनदेन होगा, राज्य विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों के पास इन दरों में सीमित रूप से संशोधन का अवसर होगा। इस मिशन का एक प्रमुख सिद्धांत सहकारी संघवाद और राज्यों को बेहतर अवसर देना है। इसमें सह-गठबंधन के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी का प्रावधान है। योजना को लागू करने के तौर तरीकों को चुनने में राज्य स्वतंत्र होंगे। राज्य बीमा कंपनी के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से ट्रस्ट /सोसायटी के माध्यम से या मिले-जुले रूप में योजना लागू कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार स्वत: शामिल किये गये हैं जिनके रहने के लिए छत नहीं है, निराश्रित, खैरात पर जीवन यापन करने वाले, मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से मुक्त किए गये बंधुआ मजदूर हैं

आयुष्मान भारत मिशन की आवश्यकता क्यों?

पिछले दस वर्षों के दौरान भारत में रोगी को अस्पताल में दाखिल करने का खर्च लगभग 300 प्रतिशत बढ़ा है (एनएसएसओ 2015)। ग्रामीण परिवार मुख्य रूप से पारिवारिक आय/बचत (68 प्रतिशत) तथा उधारी (25 प्रतिशत) पर निर्भर करते हैं तथा शहरी परिवार अस्पताल खर्चों के वित्त (पोषण के लिए अपनी आय/बचत (75प्रतिशत) पर और उधारी (18प्रतिशत) पर निर्भर करते हैं (एनएसएसओ 2015) भारत में आम नागरिक अपनी आय का 60 प्रतिशत से अधिक अपनी जेब से खर्चा करता है। इसके परिणामस्वपरूप बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों के कारण 6 मिलियन परिवार गरीबी से घिर जाते हैं. इसलिए इस मिशन को आवश्यक समझा गया।

- इस योजना का लाभ चुने हुए श्रेणी के लोगों को ही मिलेगा। इसके चयन का मुख्य आधार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना -2011 होगा, जो भी परिवार इन श्रेणी में आयेंगे उनको इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इनमें एक कमरे का कच्चा मकान, खपरैल में रहने वाले परिवार या ऐसा परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र का कोई अन्य सदस्य न हो या महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष के बीच का कोई पुरुष सदस्य न हो ऐसे परिवार ही इसमें शामिल होंगे।
- ऐसे परिवार जिनमें विकलांग सदस्य हों और उसकी देखरेख करने वाला कोई व्यस्क सदस्य परिवार में न हो।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त ऐसे परिवार जिनके पास जमीन न हो और उनकी आमदनी का मुख्य स्त्रोत मजदूरी हो, जिन परिवारों के पास छत न हो और कानूनी रूप से बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए हों।
- शहरी क्षेत्रों के लिए 11 अन्य श्रेणियों के लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

■

4. C.W.C के उदघाटन समारोह में ध्वजवाहक होगी पी.वी. सिंधु

रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और भारतीय बैडमिंटन स्टार पी वी सिंधु अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय टुकड़ी की ध्वजवाहक बनेगी। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन समारोह 4 अप्रैल को होगा वहीं समापन समारोह 15 अप्रैल को होगा। विश्व की नंबर-3 खिलाड़ी सिंधु को गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन के सिंगल्स खिताब का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। सिंधु ने हाल ही में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

इससे पहले 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पी वी सिंधु ने सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। साथ ही पिछले साल हुए बैडमिंटन के विश्व चैंपियनशिप में सिंधु ने रजत पदक हासिल किया था। भारत के 222 एथलीट 15 अलग-अलग खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों में एक्वेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केट बॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, लॉन बॉल्स, शूटिंग, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और पैरा स्पोर्ट्स भी शामिल है।

बता दें कि कॉनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। 2014 के गलास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरूष सिंगल्स में पी कश्यप ने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं 2010 में भारत में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन के सिंगल्स में सायना नेहवाल ने स्वर्ण पदक जीता था।

■

5. डाउन सिंड्रोम पर राष्ट्रीय सम्मेलन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय न्यास ने 26 मार्च 2018 को नई दिल्ली में 'डाउन सिंड्रोम पर राष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित किया। राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष डॉ. कमलेश कुमार पांडे ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर आधारित ''ट्वीलाइट्स चिल्ड्रन'' नाम की पुस्तक का भी विमोचन किया गया।

सम्मेलन के जरिये डाऊन सिंड्रोम पर विचारों और ज्ञान का प्रसार करने के लिए सभी वर्ग के बुद्धिजीवी एक मंच पर एकत्रित हुए, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के मन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अत्यधिक लाभदायक था। डाउन सिंड्रोम पीड़ितों और उनके माता-पिता को भी उनकी प्रेरणादायक गाथा साझा करने के लिए सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन के दौरान डाउन सिंड्रोम से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चाएं आयोजित की गई। विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता और डाउन सिंड्रोम के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय न्यास ने डाउन सिंड्रोम पर इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था।

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डाउन सिंड्रोम से ग्रसित लोगों के माता-पिता को इस विकार के बारे में नवीन शिक्षा और कौशल पर जानकारी प्रदान करना था। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों के लिए मूल्यांकन और जांच सत्र भी आयोजित किए गए थे।

डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम से जुड़ा विकार है, जिसमें बौद्धिक विकास और सीखने की क्षमता कम होती है। इससे ग्रसित बच्चों में अकसर देरी से विकास और व्यवहार संबंधी समस्याएं होती है। इन बच्चों की मांसपेशियों में सामान्य बच्चों से कम ताकत होती है। प्रत्येक वर्ष देश में 20 से 22 हजार बच्चे डाउन सिंड्रोम बीमारी से ग्रसित अवस्था में जन्म लेते हैं।

राष्ट्रीय न्यास, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु अधिनियम (1999 के अधिनियम 44) के तहत की गई है। राष्ट्रीय न्यास की परिकल्पना का उद्देश्य विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, जिसमें वे गरिमा, समान अधिकार और अवसरों के साथ स्वतंत्र जीवन-यापन के लिए सशक्त और सक्षम हो सके।

उल्लेखनीय है कि 19 दिसंबर 2011 को संयुत्त राष्ट्र आम सभा ने 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाने की घोषणा की थी. तब से डाउन सिंड्रोम से ग्रसित लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष इस दिवस को आधिकारिक तौर पर मनाता है। ■

6. क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' का सफल परीक्षण

भारत ने राजस्थान में पोखरण परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 22 मार्च 2018 को सफल परीक्षण किया। भारत-रूस द्वारा मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को अब 400 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वर्ष 2016 में भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) का पूर्ण सदस्य बन जाने के चलते उस पर लागू होने वाली कुछ तकनीकी पाबंदियाँ हट गई हैं।

भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशिनोस्त्रोयेनिया ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस का निर्माण किया है इसका नाम दो नदियों ब्रह्मपुत्र तथा मोस्को को जोड़कर बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के सुखोई-30 लड़ाकू विमान पर तैनात सबसे भारी हथियार है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को 40 सुखोई लड़ाकू विमानों में जोड़ने का काम जारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि क्षेत्र में नए उभरते सुरक्षा परिदृश्य में इस कदम से भारतीय वायुसेना की जरुरतें पूरी हो जाएंगी।

- ब्रह्मोस मिसाइल आवाज की गति से करीब तीन गुना अधिक यानी 2.8 मॉक की गति से हमला करने में सक्षम है।
- ये मिसाइल 300 किलोग्राम भारी युद्धक सामग्री ले जा सकता है।
- ब्रह्मोस मिसाइल 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 290 किलोमीटर तक के ठिकानों पर अटैक कर सकता है।
- ब्रह्मोस जल, थल और वायु से छोड़ी जा सकने वाली मिसाइल है।
- ब्रह्मोस एएलसीएम (एयर लांच क्रूज मिसाइल) का वजन 2.5 टन है यह मिसाइल के जमीन और समुद्री संस्करणों से हल्का है।
- यह भारत के सुखोई-30 विमान में तैनात किए जाने वाला सबसे भारी हथियार है।
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा हथियार की ढुलाई के लिए विमान में परिवर्तन किया गया।
- इस मिसाइल को 500 से 14,000 मीटर (1640 से 46,000 फीट) ऊंचाई से छोड़ा जा सकता है।
- इसे छोड़ने के बाद मिसाइल स्वतंत्र रूप से 100 से 150 मीटर तक गिरती है और फिर क्रूज फेज में 14000 मीटर और अंत में अंतिम चरण में 15 मीटर जाती है।

- इसका निशाना अचूक है। यह कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण रडार की पकड़ में नहीं आती है।

सुखाई विमान से ब्रह्मोस को दागने के बाद भारत भी उन देशों की श्रेणी में आ गया है, जो जल और थल ही नहीं आसमान से भी मिसाइल दाग सकते हैं। भारत से पहले ऐसा करने वाले देश अमरीका, रूस और फ्रांस है। इस मिसाइल को भारत सरकार सुखोई में तैनात करने के लिए काम कर रही है। अगले तीन वर्षों में कुल 40 सुखोई विमान ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हो जाएंगे। सुखोई में ब्रह्मोस मिसाइल होने से वायुसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी, ब्रह्मोस का पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। मौजूदा समय में यह भारतीय वायु सेना के लड़ाकू बेड़े की रीढ़ बन चुका है। यह मिसाइल सबसे पहले 2005 में नौसेना को मिली थी। ■

7. कर्नाटक सरकार और लिंगायत धर्म

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 19 मार्च 2018 को लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने की मांग मंजूर कर ली है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा गया है. लिंगायत की मांग पर विचार करने के लिए नागमोहन दास समिति गठित की गई थी। राज्य की कैबिनेट ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक ने इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र के पास भेज दिया है। लिंगायत समाज को कर्नाटक के अगड़ी जातियों में गिना जाता है। कर्नाटक में करीब 18 प्रतिशत लिंगायत समुदाय के लोग हैं।

लिंगायत कौन हैं?

बारहवीं सदी में समाज सुधारक बासवन्ना ने हिंदुओं में जाति व्यवस्था में दमन के खिलाफ आंदोलन आरंभ किया था। उस आंदोलन के दौरान बासवन्ना ने वेदों को खारिज किया और वह मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। आम मान्यता यह है कि वीरशैव और लिंगायत एक ही हैं। वहीं लिंगायतों का मानना है कि वीरशैव लोगों का अस्तित्व बासवन्ना के उदय से भी पहले था और वीरशैव भगवान शिव की पूजा करते हैं। लिंगायत समुदाय के लोगों का कहना है कि वे शिव की पूजा नहीं करते बल्कि अपने शरीर पर इष्ट लिंग धारण करते हैं। यह एक गेंदनुमा आकृति होती है, जिसे वे धागे से अपने शरीर से बांधते हैं. लिंगायत इष्ट लिंग को आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। बासवन्ना का अनुयायी बनने के लिए जिन लोगों ने अपने धर्म को छोड़ा वे बनजिगा लिंगायत कहे गए।

कर्नाटक की राजनीति में लिंगायतों का महत्व

लिंगायत उत्तरी कर्नाटक की प्रभावशाली जातियों में गिनी जाती है एवं राज्य के दक्षिणी हिस्से में भी लिंगायत लोग रहते हैं। सत्तर के दशक तक लिंगायत दूसरी खेतीहर जाति वोक्कालिंगा लोगों के साथ सत्ता में बंटवारा करते रहे थे। वोक्कालिंगा दक्षिणी कर्नाटक की एक प्रभावशाली जाति है। लिंगायत और वोक्कालिंगा लोगों के राजनीतिक वर्चस्व को कम करते हुए तथा अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और दलितों को एक मंच प्रदान करते हुए देवराज उर्स 1972 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने।

लिंगायत आरंभ से ही कर्नाटक की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। अस्सी के दशक में लिंगायत समुदाय ने रामकृष्ण हेगड़े को मुख्यमंत्री बनाया गया लेकिन जनता दल की सरकार से लिंगायत खुश नहीं रहे अगले चुनावों में उन्होंने कांग्रेस को जिताया लेकिन वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने पद से हटा दिया जिसके बाद लिंगायतों ने दोबारा हेगड़े को चुना आगे चलकर हेगड़े के कारण की भारतीय जनता दल को वोट मिले जिससे वाजपेयी सरकार ने राज्य में सत्ता हासिल की। रामकृष्ण हेगड़े के निधन के बाद लिंगायतों ने बीएस येदियुरप्पा को अपना नेता चुना और 2008 में वे सत्ता में आए जबकि 2013 के चुनावों में लिंगायतों ने एक बार फिर बीजेपी का समर्थन करने से इंकार कर दिया था। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

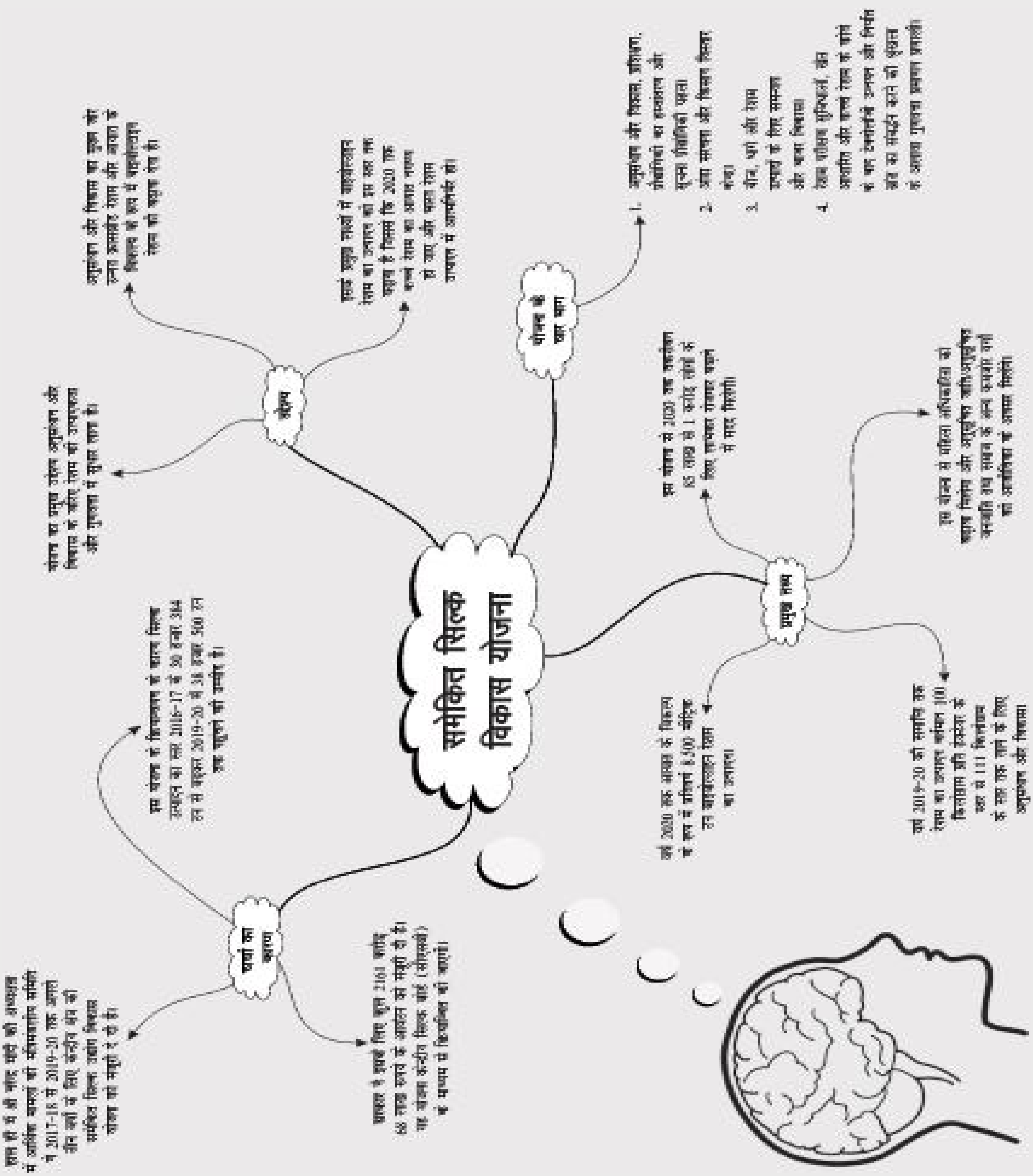

समेकित सिल्क विकास योजना
चर्चा का कारण
हाल ही में श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2017-18 से 2019-20 तक अगले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की समेकित सिल्क उद्योग विकास योजना को मंजूरी दे दी है।
इस योजना के क्रियान्वयन के कारण सिल्क उत्पादन का स्तर 2016-17 के 30 हजार 384 टन से बढ़कर 2019-20 में 38 हजार 500 टन तक पहुंचने की उम्मीद है।
सरकार ने इसके लिए कुल 2161 करोड़ 68 लाख रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है। यह योजना केन्द्रीय सिल्क बोर्ड (सीएसबी) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।
उद्देश्य
योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान और विकास के जरिए रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है।
अनुसंधान और विकास का मुख्य जोर उन्नत क्रासब्रीड रेशम और आयात के विकल्प के रूप में बाइवोल्टाइन रेशम को बढ़ावा देना है।
इसके प्रमुख लक्ष्यों में बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन को इस स्तर तक बढ़ाना है जिससे कि 2020 तक कच्चे रेशम का आयात नगण्य हो जाए और भारत रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो।
योजना के चार भाग
1. अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल।
2. अंडा संगठन और किसान विस्तार केन्द्र।
3. बीज, धागे और रेशम उत्पादों के लिए समन्वय और बाजार विकास।
4. रेशम परीक्षण सुविधाओं, क्षेत्र आधारित और कच्चे रेशम के धागे के बाद टेक्नोलॉजी उन्नयन और निर्यात ब्रांड का संवर्द्धन करने की श्रृंखला के अलावा गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली।
प्रमुख तथ्य
वर्ष 2020 तक आयात के विकल्प के रूप में प्रतिवर्ष 8,500 मीट्रिक टन बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन।
इस योजना से 2020 तक रोजगार 85 लाख से 1 करोड़ लोगों के लिए लाभकारी रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वर्ष 2019-20 की समाप्ति तक रेशम का उत्पादन वर्तमान 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के स्तर से 111 किलोग्राम के स्तर तक लाने के लिए अनुसंधान और विकास।
इस योजना से महिला अधिकारिता को बढ़ावा मिलेगा और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को आजीविका के अवसर मिलेंगे।

ग्रैच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक-2018

चर्चा का कारण

- संसद ने 22 मार्च, 2018 को ग्रैच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक को पारित किया जो कि सरकार को कर मुक्त ग्रैच्युटी और एक कार्यकारी आदेश के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि तय करने के लिए सशक्त बनाएगा।
- यह विधेयक राज्यसभा में पारित कर दिया गया जबकि लोकसभा में इसे 15 मार्च, 2018 को ही पारित कर दिया गया था। इस विधेयक को बिना बहस के ही दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई।

मुख्य तथ्य

- केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक पेश किया जिसे सदन ने चर्चा किये बिना ही ध्वनिमत से पारित कर दिया।
- विधेयक में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तर्ज पर निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये करने और महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम के कानून बनने के बाद ग्रैच्युटी भुगतान कानून 1972 के तहत ग्रैच्युटी की राशि की सीमा अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र सरकार को दे दी जाएगी ताकि वेतन में वृद्धि मुद्रास्फीति और भविष्य में वेतन आयोगों को देखते हुए समय-समय पर ग्रैच्युटी की सीमा को संशोधित किया जा सके।
- निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के मामलें में भी मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि ग्रैच्युटी भुगतान कानून 1972 के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी ग्रैच्युटी के अधिकार में संशोधन किया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

- 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम सीमा दोगुनी होकर 20 लाख हो गई।
- ग्रैच्युटरी कानून के भुगतान में संशोधन मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की पृष्ठभूमि में आता है जिसमें अधिकतम प्रसूति अवकाश अवधि 26 सप्ताह तक बढ़ सकती है।
- इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है चाहे उनकी सेवानिवृत्ति उम्र पूरी हो जाने की वजह से या शारीरिक अक्षमता या फिर शरीर के अहम हिस्से की हानि की वजह से हुई हो।

ग्रैच्युटी क्या है?

- गैंच्युटी वेतन का वह हिस्सा होता है, जो कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है।
- इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता का योग शामिल होता है।
- कर्मचारी को उसकी सेवा के बदले प्रत्येक वर्ष 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के तौर पर दिया है।
- आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के मुताबिक किसी भी निगम या कंपनी में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाला हर कर्मचारी ग्रेच्युटी हासिल कर सकता है।

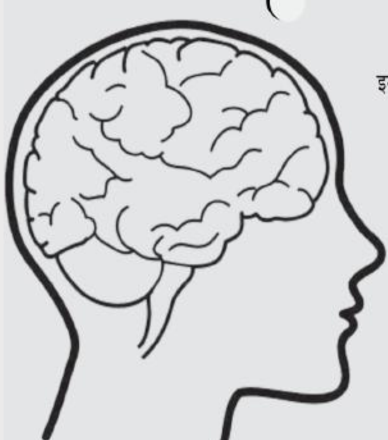

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016' के लिए अपनी मंजूरी दी है।
- यह विधेयक केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड एवं राज्य सरोगेसी बोर्डों के गठन और राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में उपयुक्त पदाधिकारियों के जरिए भारत में सरोगेसी का नियमन करेगा।
- प्रस्तावित विधेयक में सरोगेसी का कारगार नियमन, वाणिज्यिक सरोगेसी निषेध तथा प्रजनन क्षमता से वंचित भारतीय दंपत्तियों को परोपकारी सरोगेसी की अनुमति सुनिश्चित की गई है।

विशेष तथ्य

- इन संशोधनों के प्रभावी होने पर यह अधिनियम देश में सरोगेसी (किराए की कोख) सेवाओं का नियमन करेगा, सरोगेसी में अनैतिक व्यवहारों को नियंत्रित करेगा, किराए की कोख की वाणिज्यिकीकरण रोकेगा और सरोगेसी से माँ बनने वाली महिलाओं एवं सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चों का संभावित शोषण रोकेगा।
- वाणिज्यिक सरोगेसी निषेध में मानव भ्रूण तथा युग्मक की खरीद और बिक्री जैसे पक्षों को शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त प्रजनन क्षमता से वंचित दंपत्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिये निश्चित शर्तों को पूरा करने पर तथा विशेष उद्देश्यों के लिये नैतिक सरोगेसी की भी अनुमति दी जाएगी।
- इससे नैतिक सरोगेसी सुविधा के इच्छुक प्रजनन क्षमता से वंचित दंपत्तियों को लाभ होगा।
- यह विधेयक जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा।
- इसके अतिरिक्त सरोगेसी से माता बनने वाली महिलाओं और सरोगेसी से जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- विभिन्न देशों से दंपत्ति भारत आते हैं और भारत सरोगेसी केंद्र के रूप में उभरा है। लेकिन अनैतिक व्यवहारों, सरोगेसी प्रक्रिया से माता बनने वाली महिलाओं का शोषण, सरोगेसी प्रक्रिया से जन्म लेने वाले बच्चों का परित्याग और मानव भ्रूण तथा युग्मक लेने में बिचौलियों की धोखाधड़ी की घटनाएँ चिंताजनक हैं।
- भारत के विधि आयोग की 228वीं रिपोर्ट में वाणिज्यिक सरोगेसी के निषेध और उचित विधायी कार्य द्वारा नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति की सिफारिश की गई है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति की 102वीं रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में एक साथ 10 अगस्त, 2017 को पटल पर रखी गई।
- संसद की स्थायी समिति द्वारा हितधारकों, केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभागों, स्वयंसेवी संगठनों, चिकित्सा क्षेत्र के पेशेवर लोगों, वकीलों, शोधकर्त्ताओं, प्रवर्तक अभिभावकों तथा सरोगेसी से माता बनने वाली महिलाओं के साथ विचार-विमर्श किया गया और उनके सुझाव प्राप्त किये गए।
- सरोगेसी (नियमन) विधेयक 21 नवम्बर, 2016 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे 12 जनवरी, 2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद की स्थायी समति को भेजा गया।

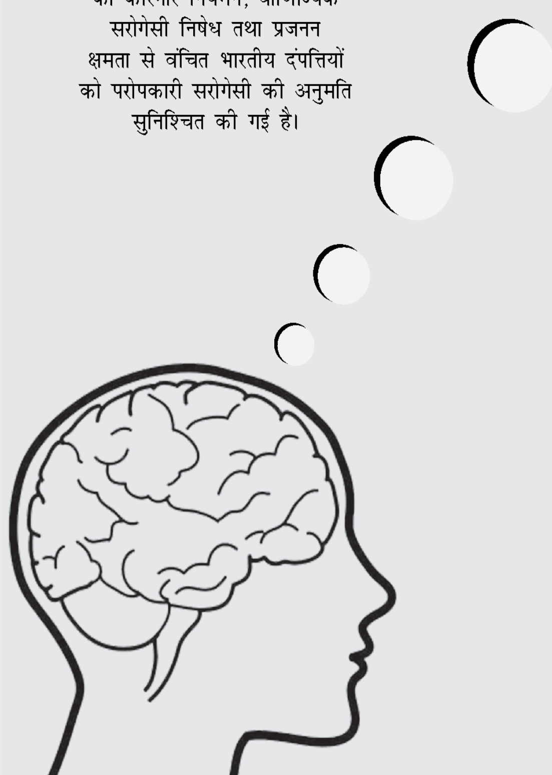

पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना-2017

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर-पूर्वी औद्योगिकी विकास योजना (NEIDS), 2017 को सिक्किम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दे दी है।
- एनईआईडीएस पहले दो सरकारी योजनाओं के तहत कवर किए गए प्रोत्साहनों का एक बहुत बड़ा परिव्यय है। इसमें 3000 करोड़ रूपये, मार्च 2020 तक का वित्तीय परिव्यय होगा।

उद्देश्य

- यह सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देगा साथ ही आय पैदा करने के साधनों को बढ़ावा देगा।
- इसके लिए, सरकार इस योजना के जरिए मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है। यह रोजगार पैदा करने के लिए योजना के माध्यम से विशिष्ट प्रोत्साहन भी प्रदान करता है।
- यह सभी योग्य औद्योगिकी इकाइयों को विभिन्न प्रोत्साहन और लाभ प्रदान करेगा। प्रोत्साहन के सभी घटकों के अंतर्गत लाभ की समग्र सीमा प्रति इकाई 200 करोड़ रूपेय होगी।

विशेष तथ्य

- सरकार मार्च 2020 से पहले मूल्यांकन के बाद योजना के शेष अवधि के लिए आवश्यक आवंटन मुहैया करायेगी।
- इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से पहले पाँच वर्षों के लिए पात्र बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये कार्यशील पूंजी ऋण पर 3 प्रतिशत केन्द्रीय ब्याज प्रोत्साहन किया जाएगा।
- सेन्ट्रल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेटिव फॉर एक्सेस टू क्रेडिट (CCTIAC), प्रति यूनिट प्रोत्साहन राशि पर 5 करोड़ रूपये की उपरी सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी में निवेश का 30% होगा।
- NEIDS पहले दो योजनाओं के तहत कवर किए गये प्रोत्साहनों का एक बहुत बड़ा परिव्यय वाला संयोजन है।

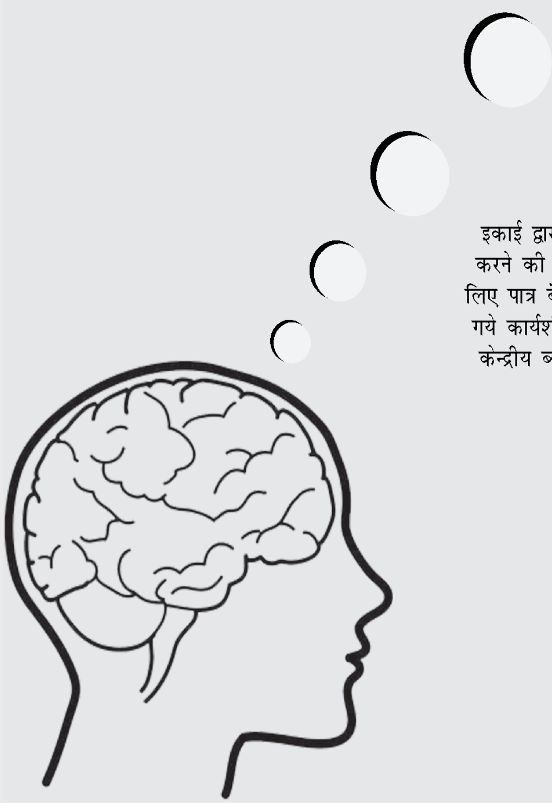

रूसा योजना

रूसा क्या है?

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जो पात्र राज्यों को उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया है।
- केन्द्रीय वित्त पोषण (सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65:35 के अनुपात में और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में) मापदण्ड आधारित और आउटकम अधीन होगा।
- चिन्हित संस्थानों में पहुंचने से पहले निधियन केन्द्रीय मंत्रालय से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों को जाता है।
- राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के समालोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को निधियन दिया जाता है जो उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मामलों को सुलझाने के लिए राज्य की कार्य योजना की व्याख्या करता है।

चर्चा का कारण

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) को 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी है।
- इस अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों को उच्च शिक्षा के लिए निधि आवंटित करती है। रूसा के तहत सरकार का लक्ष्य 2020 तक कुल नामांकन अनुपात 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना है।

प्रमुख उद्देश्य

- निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन कार्य ढांचे के रूप में अंगीकार करना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में सुधार करना, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निःशक्तजनों के समावेशन को प्रोत्साहित करना।
- असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में संस्थाओं को स्थापित करके उच्चतर शिक्षा में पहुंच बनाने में क्षेत्रीय असंतुलनों को संतुलित करना।
- वर्तमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करके सांस्थानिक आधार को विस्तार प्रदान और नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए संस्थानों को स्थापित करना।
- उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना।
- सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना और रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना।
- बंधन, शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना।
- राज्य स्तर पर योजना और मॉनीटरिंग के लिए सांस्थानिक ढांचे का निर्माण करके, राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्त प्रोत्साहन करके और संस्थाओं के अभिशासन में सुधार करके राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार करना।

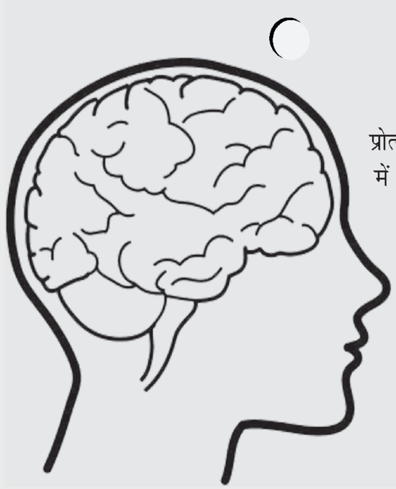

कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल

चर्चा का कारण

फेसबुक पर जारी बयान में मार्क जुकरबर्ग ने कहा, "फेसबुक को मैंने शुरू किया है और हमारे इस मंच पर जो कुछ भी होता है, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ।"

दरअसल फेसबुक के लिए एप्प बनाने वाली कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लोगों की निजी जानकारी चुराने और उस डाटा का फायदा राजनीतिक पार्टियों को पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

विश्व के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लगभग 5 करोड़ यूजर्स की निजी जानकारियों के लीक होने की घटना चर्चा में बनी हुई है। इस मामले में हाल ही में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने स्वीकार किया है कि उनकी कंपनी से गलतियाँ हुई हैं।

फेसबुक द्वारा भविष्य के कदम

संदिग्ध गतिविधियों वाले सभी एप्स की पड़ताल की जाएगी।

पड़ताल के लिए सहमत न होने वाले डेवलपर को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

उन सभी एप्स की जांच की जाएगी, जिन्होंने 2014 में डेटा को सीमित किए जाने से पहले ही बड़ी मात्रा में जानकारियां हासिल कर ली थी।

निजी जानकारियों का दुरूपयोग करने वाले डेवलपर्स को बैन कर दिया जाएगा और प्रभावित हुए लोगों को इसकी सूचना दी जाएगी।

कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है?

कैम्ब्रिज एनालिटिका अमेरिका की एक बड़ी डाटा एनोलेसिस फर्म है, यह उस समय चर्चा में आई जब इसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम किया।

वर्ष 2016 में अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित जीत का श्रेय कैम्ब्रिज एनालिटिका को भी दिया गया।

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, कैम्ब्रिज एनालिटिका की स्थापना अमेरिका में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर साल 2013 में की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप से पहले इस कंपनी ने रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज के लिए काम किया था।

कैसे हुआ डाटा लीक

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता अलेक्जेंडर कोगन ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के लिए 'दिस इज योर डिजिटल लाइफ' नाम का फेसबुक एप्प बनाया।

एप्प में लोगों को यह बताया गया कि उनकी जानकारियां केवल अकादमिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाएंगी।

यूजर्स का डाटा इसी एप्प से लिया गया। कोगन के क्विज ने 5 करोड़ से अधिक फेसबुक प्रोफाइल से डेटा निकालने का काम किया।

इसससे एक ऐसा मॉडल तैयार हुआ जिससे शोधकर्ता यूजर्स की ऐक्टिविटी की मदद से उसके बारे में स्टीक आकलन करने में सक्षम हो गए।

इनमें से लगभग 2 लाख 70 हजार लोगों ने कोगन के एप्प को उनकी जानकारियां लेने की अनुमति दी।

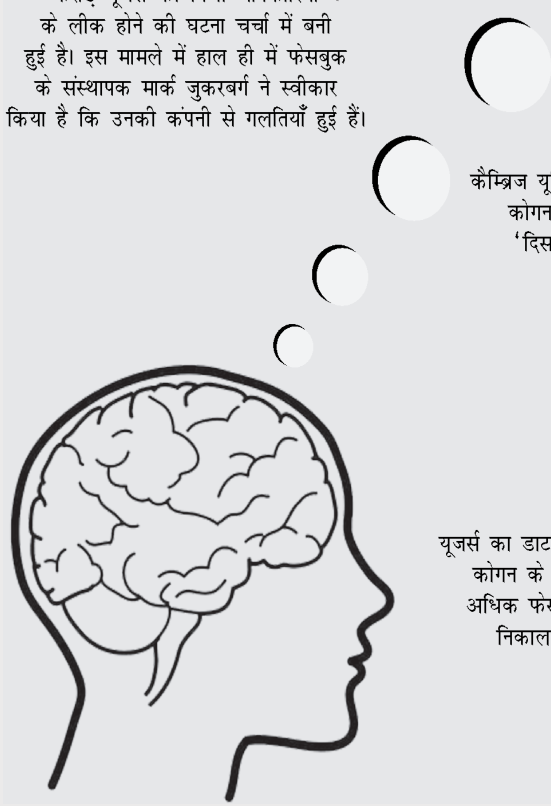

ध्येयIAS® most trusted since 2003

अन्तर्राष्ट्रीय वन दिवस: 21 मार्च

चर्चा का कारण

- 21 मार्च, 2018 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया।
- थीम: वर्ष 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम ''फॉरेस्ट्स फॉर सस्टेनेबल सिटीज'' है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की। इस दिवस के मनाने के उद्देश्य वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान और भावी पीढ़ी के विकास को सुदृढ़ बनाना है।

भारत में वन आवरण

- भारत के भू-भाग का 24.4 प्रतिशत हिस्सा वनों और पेड़ों से घिरा है, हालांकि यह विश्व के कुल भू-भाग का केवल 2.4 प्रतिशत हिस्सा है और इन पर 17 प्रतिशत मनुष्यों की आबादी और मवेशियों की 18 प्रतिशत संख्या की जरूरतों को पूरा करने का दबाव है।
- एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के उन 10 देशों में 8वां स्थान दिया गया है जहाँ वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई है।
- 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017' के अनुसार, वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में है।
- देश में वन और वृक्षावरण की स्थिति में 2015 की तुलना में 8021 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
- भारत ने अपने भू-भाग 33 प्रतिशत हिस्से को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन बुनियादी ढांचे में वृद्धि और आबादी का दबाव इस लक्ष्य से दूर कर रहा है।

भारत में वनों का वर्गीकरण

भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। कई उप-प्रकार के साथ भारत में वनों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन
- उष्ण कटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन
- उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
- कंटीले वन (मरुस्थलीय वन)
- पर्वतीय वन (अल्पाइन वन)
- ज्वारीय वन (मैनग्रोव/डेल्टाई वन)

चुनौतियाँ

- 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2017' के अनुसार, यह कहा जा सकता है। कि भारत में वनों की स्थिति अच्छी नही है।'
- हमारे देश में लोगों की वनों के प्रति विशेष रूचि न होने, वन व्यवस्था अवैज्ञानिक होने प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव, वनोपज संबंधी शोध कार्य की कमी तथा वन दोहन के तकनीकी ज्ञान की अनभिज्ञता इत्यादि के कारण वनों का विकास संभव नहीं हो पया है।
- पाश्चात्य देशों की तुलना में यहाँ प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र बहुत ही कम है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. समेकित सिल्क विकास योजना

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. समेकित सिल्क विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान और विकास के जरिए रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है।
2. इस योजना से महिला अधिकारिता को बढ़ावा मिलेगा और अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को आजीविका के अवसर मिलेंगे।
3. इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 की समाप्ति तक रेशम का उत्पादन वर्तमान 100 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़ाकर 150 किग्रा/हे० का लक्ष्य रखा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 1 व 2

(c) केवल 2 व 3 (d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2017-18 से 2019-20 तक अगले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की ''समेकित सिल्क विकास योजना'' को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 की समाप्ति तक रेशम का उत्पादन वर्तमान 100 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़ाकर 111 किग्रा०/हे० करने का लक्ष्य रखा गया है। अतः कथन 2 गलत है इसलिए उत्तर (b) होगा। ■

2. ग्रैच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018

प्र. निम्नलिखि कथनों पर विचार करें:

1. ग्रैच्युटी वेतन का वह हिस्सा होता है, जो कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है।
2. 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी राशि की अधिकतम सीमा दोगुनी होकर 30 लाख हो गई है।
3. ग्रैच्युटी कानून के भुगतान में संशोधन मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 की पृष्ठभूमि में आता है जिसमें अधिकतम प्रसूति अवकाश अवधि 30 सप्ताह तक हो सकती है।
4. इसके तहत कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष के बदले 15 दिनों का वेतन ग्रैच्युटी के तौर पर दिया जाता है।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1 व 3

(c) केवल 2 व 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: संसद ने 22 मार्च 2018 को ग्रैच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक को पारित किया जो कि सरकार को कर मुक्त ग्रैच्युटी और एक कार्यकारी आदेश के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि तय करने के लिए सशक्त बनाएगा। इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सेवा-निवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत ग्रैच्युटी राशि की अधिकतम सीमा दोगुनी होकर 20 लाख हो गई है। इसके साथ ही अधिकतम प्रसूति अवकाश अवधि 26 सप्ताह तक बढ़ सकती है। अतः कथन 2 और 3 गलत है इसलिए सही उत्तर (c) होगा। ■

3. सरोगेसी विनियमन विधेयक–2016

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के विधि आयोग की 228वीं रिपोर्ट में वाणिज्यिक सरोगेसी के निषेध और उचित विधायी कार्य द्वारा नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति की सिफारिश की गई है।
2. वाणिज्यिक सरोगेसी निषेध में मानव भ्रूण तथा युग्मक की खरीद और बिक्री जैसे पक्षों को शामिल किया गया है।
3. इससे नैतिक सरोगेसी सुविधा के इच्छुक प्रजनन क्षमता से वंचित विवाहित दंपतियों को लाभ मिलेगा।
4. यह विधेयक जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं

(a) केवल 1 व 4 (b) केवल 1, 2 व 3

(c) केवल 2 व 4 (d) 1, 2, 3, 4

उत्तर: (d)

व्याख्या: सरोगेसी विधेयक केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड एवं राज्य सरोगेसी बोर्डों के गठन और राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में उपयुक्त पदाधिकारियों के जरिए भारत में सरोगेसी का निगमन करेगा। प्रस्तावित विधेयक में सरोगेसी का कारगर नियमन, वाणिज्यिक सरोगेसी निषेध तथा प्रजनन क्षमता से वंचित भारतीय दंपत्तियों को परोपकारी सरोगेसी की अनुमति सुनिश्चित की गई है। सरोगेसी विधेयक के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य है इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

4. पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना, 2017

प्र. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है।

(a) उत्तर-पूर्व औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपयें मार्च 2022 तक खर्च किये जायेंगे।

(b) सेंट्रल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव फॉर एक्सेस टू क्रेडिट (CCIIAC) प्रति यूनिट प्रोत्साहन राशि पर 5 करोड़ रुपये की उपरी सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी में निवेश का 30% होगा।

(c) इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से पहले 5 वर्षों के लिए पात्र बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये कार्यशील पूंजी ऋण पर 3% केन्द्रीय ब्याज प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(d) यह सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देगा साथ ही साथ आय पैदा करने के साधनों को बढ़ावा देगा।

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर-पूर्वी औद्योगिक विकास योजना 2017 को सिक्किम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दे दी है। एनईआईडीएस पहले दो सरकारी योजनाओं के तहत कवर किए गए प्रोत्साहनों का एक बहुत बड़ा परिव्यय है। इसमें 3000 करोड़ रुपये मार्च 2020 तक खर्च किए जाएंगे। इस तरह कथन (a) असत्य है इसलिए उत्तर (a) होगा।

रूसा योजना

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) को 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है।
2. इस अभियान के तहत केन्द्र सरकार राज्यों को उच्च शिक्षा के लिए निधि आवंटित करती है।
3. रूसा के तहत सरकार का लक्ष्य 2020 तक कुल नामांकन अनुपात 20% से बढ़ाकर 40% करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2 व 3

(c) केवल 3 (d) केवल 1 व 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केन्द्र सरकार प्रायोजित है जो राज्यों के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। केन्द्रीय वित्त पोषण सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65:35 के अनुपात में, और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में मापदंड आधारित और आउटकम अधीन होगा। इस अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य 2020 तक कुल नामांकन अनुपात 20% से बढ़ाकर 30% करना है। अतः कथन 3 गलत है इसलिए उत्तर (c) होगा।

■

6. कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल

प्र. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है:

(a) कैम्ब्रिज एनालिटिका अमेरिका की एक बड़ी डाटा एनालेसिस फर्म है।

(b) कैम्ब्रिज एनालिटिका की स्थापना अमेरिका में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर साल 2015 में की गई थी।

(c) कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्त्ता अलेक्जेंडर कोगन ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के लिए ''दिस इज योर डिजिटल लाइफ' (This is your digital life) नाम का फेसबुक एप्प बनाया है।

(d) इससे एक ऐसा मॉडल तैयार हुआ जिससे शोधकर्त्ता यूजर्स की ऐक्टिविटी की मदद से उसके बारे में सटीक आकलन करने में सक्षम हो गये है।

उत्तरः (b)

व्याख्याः विश्व के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लगभग 5 करोड़ यूजर्स की निजी जानकारियों के लीक होने की घटना चर्चा में बनी हुई है। इस मामले में फेसबुक के लिए एप्प बनाने वाली कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लोगों की निजी जानकारी चुराने और उस डाटा का फायदा राजनीतिक पार्टियों को पहुंचाने का आरोप लगा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका की स्थापना अमेरिका में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर साल 2013 में की गई थी। अतः कथन (b) गलत है इसलिए उत्तर (b) होगा।

7. अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वर्ष 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम ''फॉरेस्ट्स फॉर सस्टेनेबल सिटीज'' है।
2. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है।
3. देश में वन और वृक्षावरण की स्थिति में 2015 की तुलना में 8021 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
4. एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के उन 10 देशों में 8वाँ स्थान दिया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं

(a) केवल 1 व 3

(b) केवल 2 व 4

(c) केवल 3 व 4

(d) 1,2,3 व 4

उत्तरः (d)

व्याख्याः 21 मार्च 2018 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार वनों के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य हैं इसलिए उत्तर (d) होगा।

■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में 'अम्मा टू-व्हीलर योजना' किस राज्य में शुरू की गई है?

-तमिलनाडु

2. हाल ही में 'मिशन बिंयाद' किस राज्य में शुरू किया गया है?

-दिल्ली

3. हल ही में 'चागा बैराम' उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है?

-रूस

4. हाल ही में किस राज्य में 'अस्मिता योजना' शुरू की गई है?

-महाराष्ट्र

5. 'चेटीचंड' त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है?

-सिंधी समुदाय

6. हाल ही में जारी की गई वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है?

-81वाँ

7. हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला 'ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन' बना है?

- गांधीनगर रेलवे स्टेशन (जयपुर)

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. 'सत्य के रास्ते पर कोई दो ही गलतियाँ कर सकता है, या तो वह पूरा सफर तय नहीं करता या सफर की शुरुआत ही नहीं करता।'

-गौतम बुद्ध

2. प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और फिर हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं उसमे सबसे नम्र है।

- महात्मा गांधी

3. कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिये।

-अब्दुल कलाम

4. हर वो चीज जो गिनी जा सके मायने नहीं रखती, और हर वो चीज जो मायने रखती है वो गिनी नहीं जा सकती।

-अल्बर्ट आइंस्टीन

5. किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिये, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है।

-रवीन्द्रनाथ टैगोर

6. किसी भी इंसान को मारना आसान है, परन्तु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं।

-भगत सिंह

7. मैं अपने काम से प्यार करती हूँ और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं।

-किरण बेदी

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त घोषित करने का निर्णय लिया गया। यह भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने में किस हद तक सहायक होगा? टिप्पणी करें।

2. भूमध्य रेखा के आस-पास प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में घटित होने वाली अल-नीनों एवं ला-नीनों की घटनाएँ पूरे विश्व के जलवायु चक्र को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? सविस्तार चर्चा करें।

3. सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य अठारहवी शताब्दी का भारत विखंडित राज्यंतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था?

4. हाल के वर्षों में भारतीय न्यायपालिका पर उठ रहा प्रश्नचिन्ह भारतीय लोकतंत्र के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। उल्लेख करें।

5. हाल ही में चीन अपने आर्थिक संबंधी एवं व्यापार को बढ़ाने के लिए तथा अपनी सैनिक शक्ति को विकसित करने के लिए अक्रामक नीति अपना रहा है। चीन के इस कदम से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करें।

6. वर्तमान में बैंकिंग कार्यप्रणाली में जिस तरीके से भ्रष्टाचार सामने आया है वह विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था के सारव को किस प्रकार प्रभावित करेगा? उल्लेख करें।

7. संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता को बताते हुए स्थायी परिषद में भारत की सदस्यता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।

ध्येय IAS most trusted since 2003

EDGE for IAS

Dhyeya Student Portal

FREE REGISTRATION

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST : VIDEOS: CURRENT AFFAIRS: DISCUSSION	DAILY Q & A CHECKING ARTICLE ANALYSIS ESSAY AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		**ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल**	**अन्य पोर्टल एवं साइट्स**
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	×
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	×
	अंग्रेजी	✓	✓(कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	×
	अंग्रेजी	✓	×
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓(कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और Ethics case study ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	×
	अंग्रेजी	✓	×

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

You did it...

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Entire Dhyeya IAS Family Proudly Congratulate our Success Makers
in **IAS-2016** Examination and wishes them a Bright & Shining Future Ahead...

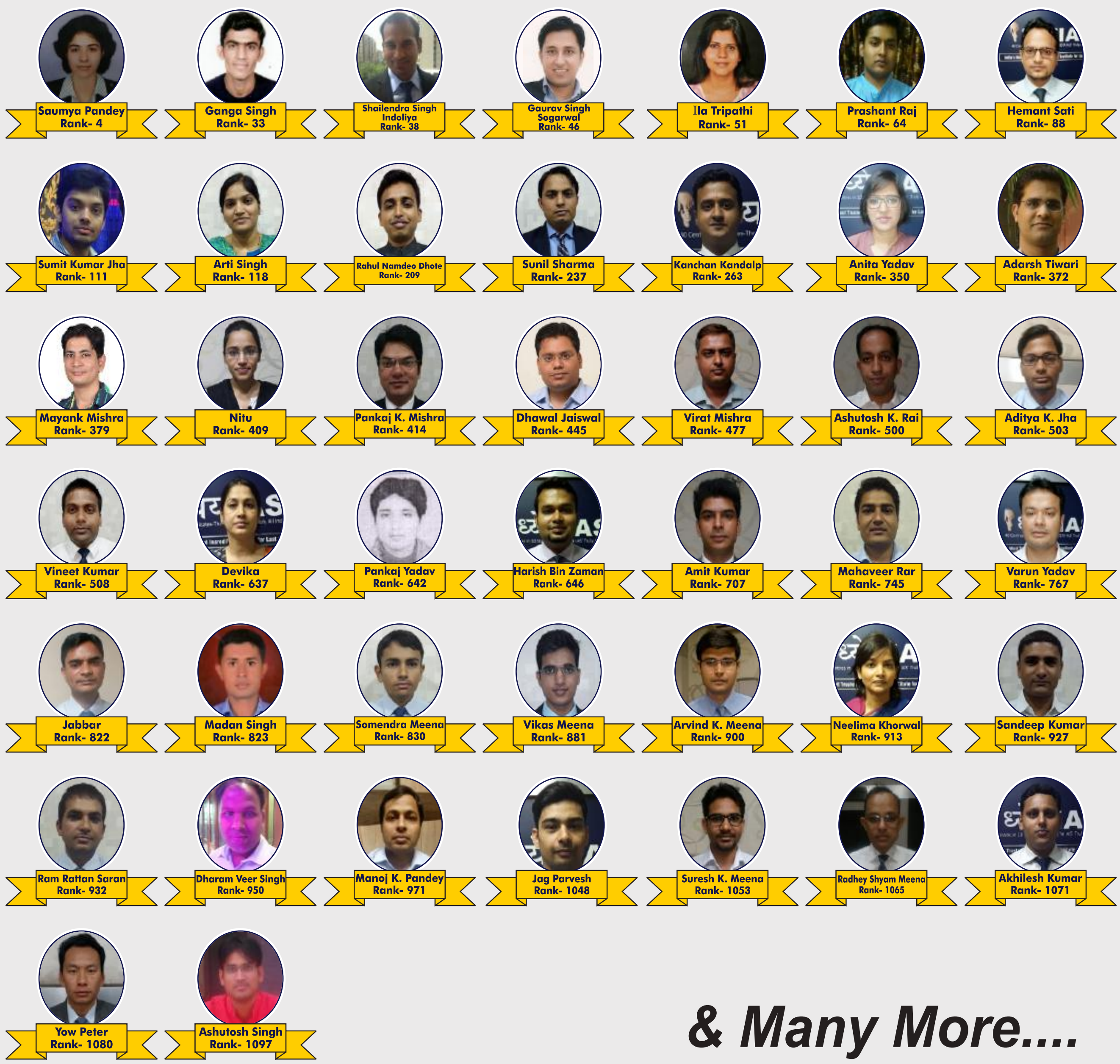

& Many More....